सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2015- 16

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 01 जून, 2005 भारत सरकार के संकल्प के अंतर्गत यथापेक्षित अपनी दसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

इस रिपोर्ट में 01अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि कवर गई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

नई दिल्ली

आभार

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा अनेक शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को उनके सहयोग और आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान दी गई बहुमूल्य जानकारियों और सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता है। यह आयोग के कारगर कार्यकरण में, विशेषकर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करता है ।

आयोग के इस कार्य में विशिष्ट पदाधिकारियों, विशेषकर डॉ. टी.सी.ए. अनंत, सीएसआई, श्री आशीष कुमार, महानिदेशक (सीएसओ) तथा श्रीमती अमरजीत कौर, प्रभारी महानिदेशक (एनएसएसओ) से प्राप्त सक्रिय सहयोग और सहायता उल्लेखनीय है। आयोग, श्री एम.वी.एस. रंगनाधम, उपमहानिदेशक तथा आयोग सचिवालय के सहायक स्टॉफ, जिनके अथक प्रयासों के बिना आयोग का कार्य संभव नहीं हो पाता, की भूमिका की हार्दिक सराहना करता है ।

(डॉ. राजीव मेहता)
सदस्य

(डॉ. मनोज पांडा)
सदस्य

(प्रो. राहुल मुखर्जी)
सदस्य

(श्री अमिताभ कांत)
सीईओ, नीति आयोग
पदेन सदस्य

(प्रो. एस. महेन्द्र देव)
सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष

विषय सूची

अध्याय संख्या	विवरण	पृष्ठ सं
	संक्षिप्ती	1-3
	कार्यकारी सार	4-9
1.	प्रस्तावना	10-16
2.	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	17-29
3.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सांख्यिकी कार्यलय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	30-48
4.	अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के कुछ सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	49-65

संक्षिप्ती

एसीएनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की सलाहकार समिति
एडीजी	अपर महानिदेशक
एएचएस	वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईएसईएस	अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण
एआईएसएचई	अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
एएसआई	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
एएसएसएस	वार्षिक सेवा क्षेत्र सर्वेक्षण
एटीआर	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
सीएपी	समन्वय तथा प्रकाशन विभाग
सीएपीआई	कंप्यूटर समर्थित निजी साक्षात्कार
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीडी-रोम	कॉम्पैक्ट डिस्क -रीड-ऑनली मेमोरी
सीईएस	उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएनएलएस	वृहत राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण
डीएसी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीडीजी	उप महानिदेशक
डीईपीआर	आर्थिक नीति एवं अनुसंधान विभाग
डीईएस	अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीए	महानिदेशक नागरिक उड्डयन
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीएलएचएस	जिला स्तरीय परिवार एवं सुविधा सर्वेक्षण
डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
डीपीडी	समंक विधायन प्रभाग
डीएसआईएम	सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंधन विभाग
ईबी	परिगणना ब्लॉक
ईसी	आर्थिक गणना
ईएसडी	अर्थ सांख्यिकी प्रभाग

ईयू	रोजगार-बेरोजगारी
ईयूएस	रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण
एफओडी	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
एफएसयू	प्रथम चरण इकाई
आईसीटी	सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी
आईसीएस	फसल सांख्यिकी में सुधार
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएस	औद्योगिक सांख्यिकी
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसपी	सेवा उत्पादन सूचकांक
आईटीसी-एचएस	भारतीय व्यापार वर्गीकरण -संगत प्रणाली
जेएसओ	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एमसीए	कार्पोरेट मामला मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओईएफसी	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीसीई	प्रति व्यक्ति मासिक व्यय
एमएस	मास्टर प्रतिदर्श
एनएडी	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीओ	राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण
एनएफएचसी	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएचएआई	भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआईआईटी	राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय आयोग
एनएनएमबी	राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो
एनआरएसए	राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
एनएसएस	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
एनयूईपीए	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
ओईए	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

ओआरजीआई	भारत के महापंजीयक का कार्यालय
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएसयू	प्राथमिक प्रतिदर्श इकाई
पीयू	बेरोजगारी अनुपात
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएसई	सापेक्ष मानक त्रुटि
आरएसओसी	बच्चों पर द्रुत सर्वेक्षण
एससीआईएस	औद्योगिक सांख्यिकी की मानक समिति
एसडीसी	सांख्यिकी अनावृत नियंत्रण
एससीएलएफसी	श्रम बल सांख्यिकी मानक समिति
एसडीपी	राज्य घरेलू उत्पाद
एसडीआरडी	सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग
एसईईए	पर्यावरणीय, अर्थ लेखा प्रणाली
एसएमओसी	बाल परिणाम आकलन सर्वेक्षण
एसपीसीएल	मूल्य तथा जीवन लागत सांख्यिकी
एसपीआई	सेवा मूल्य सूचकांक
एसएसडी	सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग
एसएसओ	वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी
एसएसयू	द्वितीय चरण इकाई
एसयूटी	पूर्ति उपयोग तालिकाएं
टीएसी	तकनीकी सलाहकार समिति
टीआरडब्ल्यू	परिवहन अनुसंधान स्कंध
टीयूएस	समय उपयोग सर्वेक्षण
यू-डीआईएसई	एकीकृत -शैक्षिक जिला सूचना प्रणाली
यूएफएस	शहरी ढांचा सर्वेक्षण
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यूएनएसडी	संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग
यूआर	बेरोजगारी दर
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यूबी	विश्व बैंक
डब्ल्यूजी	कार्यकारी समूह
डब्ल्यूपीआर	कार्य भागीदारी दर

कार्यकारी सार

प्रस्तावना

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्यों तथा एक पदेन सदस्य के साथ 12 जुलाई, 2006 से कार्य कर रहा है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद (सीएसआई) आयोग के सचिव हैं।

(पैरा 1.1 से 1.6)

2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का एक 13 सूत्री अधिदेश है। इसके अलावा, एनएसएसओ के शासी परिषद के कार्य एनएससी को सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकीय सर्वेक्षणों का निरीक्षण कार्य भी सौंपा गया है।

(पैरा 1.7 से 1.9)

3. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नौ बैठकें आयोजित की। सभी नौ बैठकों में आयोग ने उसके सौंपे गए सभी विषयों तथा उसके अधिदेश में कवर होने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा की।

(पैरा 1.10 से 1.11)

4. एनएससी की सलाह पर डॉ. सौमित्रा चौधरी की अध्यक्षता में गठित राजकोषीय सांख्यिकी पर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीएसओ (एनएडी) ने सुझाव प्राप्त करने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों को रिपोर्ट परिपत्रित की।

(पैरा 1.12 से 1.13)

5. एनएससी की सिफारिश पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा क्षेत्र पर वार्षिक सर्वेक्षण के लिए कार्यपद्धति ब्योरे तैयार करने तथा उसके आयोजन के देखने के लिए सेवा क्षेत्र पर एक स्थायी समिति गठित की। समिति अपना कार्य कर रही है।

(पैरा 1.14)

6. एनएससी ने समान विचारणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की सिफारिश की।

(पैरा 1.15 से 1.16)

7. एनएससी की सिफारिश पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक समूह गठित किया जो एफओडी के पर्यवेक्षण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए सर्वेक्षण साधन तैयार

करने का कार्य करेगा। समूह ने आंकड़ा संग्रहण की जांच अनुसूची विकसित की और फील्ड में इसकी पूर्व-जांच करने की सिफारिश की।

(पैरा 1.17)

8. एनएससी के आग्रह पर, सीएसओ (एसएसडी) द्वारा जेंडर सांख्यिकी तथा शिक्षा सांख्यिकी पर विषय पेपर आमंत्रित किए गए। सीएसओ (एसएसडी) ने दो विषय पेपरों पर विचार-विमर्श पेपर तैयार किया। एनएससी ने कहा कि जेंडर सांख्यिकी पर विचार-विमर्श पेपरों को अद्यतन किया जाए। शिक्षा सांख्यिकी पर विषय पेपर तथा विचार-विमर्श पेपरों की समीक्षा एनएससी द्वारा की गई तथा समीक्षा के ब्योरे इन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(पैरा 1.18 से 1.19)

9. एनएससी की स्थापना पर होने वाला वार्षिक व्यय संसद की सम्मति से सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा एक मांग के अंतर्गत पूरा किया जा रहा है।

(पैरा 1.21 से 1.22)

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा

10. आईआईपी के आधार वर्ष में संशोधन के लिए डा. सौमित्रा चौधरी की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कार्यकलापों के एक नए सैट की सिफारिश की गई। एनएससी ने प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत सिफारिश की कि सीएसओ (ईएसडी) एक नोट प्रस्तुत करे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट करे कि क्या सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के उपबंधों तथा संसाधन अपेक्षाओं के अंतर्गत आंकड़ा संग्रहण कार्य किया जा सकता है।

(पैरा 2.2 से 2.6)

11. वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए एनएससी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टें भी संसद के सभा पटल (की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित) पर नहीं रखी गई हैं, अत: पब्लिक डोमेन पर नहीं हैं। एनएससी ने सिफारिश की कि इस पर कार्रवाई की जाए और सभी लंबित रिपोर्टें (की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित) संसद के सभा पटल पर रखी जाए।

(पैरा 2.7 से 2.12)

12. सातवीं आर्थिक गणना आयोजित करने की समय-सीमा/आवश्यकता के बारे में कहा गया कि छठी आर्थिक गणना के परिणाम जारी किए जा रहे हैं तथा इसलिए 7वीं आर्थिक गणना करने पर कोई निर्णय लेना अभी जल्दी होगा।

(पैरा 2.13 से 2.19)

13. सीएसओ ने जनवरी, 2015 में ही सीपीआई के आधार वर्ष को 2010 = 100 से बदलकर 2012 = 100 किया है। उप-समूह, समूह तथा सभी मदों (सामान्य) के अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त) जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2014 की अवधि तक संकलित करके पब्लिक डोमेन पर रखे गए है। इसके अलावा, जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 की अवधि के अखिल भारत मद सीपीआई (संयुक्त) भी आम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए। एनएससी ने जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2012 तक की अवधि की पिछली श्रृंखला जारी करने की सिफारिश की और जनवरी, 2013 से मई, 2013 का प्रभावी आवास किराया सूचकांक और परिणामस्वरूप संशोधित आवास और सीपीआई (शहरी) तथा सीपीआई (संयुक्त) के समग्र/सामान्य सूचकांक जारी करने की भी सलाह दी।

(पैरा 2.20 से 2.27)

14. औद्योगिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति ने वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणों की कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की। एनएससी ने कुछ सिफारिशों को छोड़ते हुए बाकी की सिफारिशों का समर्थन किया।

(पैरा 2.28 से 2.31)

15. सीएसओ (एसएसडी) ने भारत के महापंजीयक तथा एनएसएस आंकड़ों से 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग पर लिंगनुपात की संभाव्यता पर उनके द्वारा किए गए अध्ययन पर एक नोट प्रस्तुत किया। एनएससी ने सिफारिश की कि सीएसओ (एसएसडी), अध्ययन में दिखाई गई समस्याओं का निवारण करे तथा उचित विश्लेषण और निष्कर्ष दे।

(पैरा 2.32 से 2.35)

16. एनएससी ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के विभिन्न सांख्यिकीय कार्यकलापों तथा प्रभागों में हुई प्रगति/स्थिति का जायजा लेने के लिए तिमाही समीक्षा की प्रक्रिया आरंभ की है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तीन समीक्षाएं और नौ सिफारिशें की गई।

(पैरा 2.36 से 2.38)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा

17. एएससी, एनएसएसओ के तत्कालीन शासी परिषद के कार्यों को कर रहा है। उसके कार्यों में प्रत्येक एनएसएस दौर में शामिल होने वाले विषयों पर निर्णय लेने, कार्यपद्धति विकसित करने तथा आंकड़ों के संसाधन कार्यों को देखने तथा एनएसएसओ द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्टों/इकाई स्तरी आंकड़ों की निगरानी करना शामिल है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एनएसएसओ ने एनएसएस के 68वें, 70वें तथा 71वें दौर पर आधारित 13 रिपोर्टें जारी की हैं।

(पैरा 3.1 से 3.3)

18. एनएसएसओ ने अभी तक सांख्यिकीय प्रकटीकरण नियंत्रण के मुद्दे पर कोई मानक/पद्धति अधिसूचित नहीं की है। सांख्यिकी प्रकटीकरण नियंत्रण मुख्य दो मुद्दों पर ध्यान देता है नामत: व्यक्तिगत इकाई की पहचान संरक्षित रखना और विश्वसनीय आंकड़े जारी करना। एनएससी ने

महसूस किया कि सभी प्रकार के प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के लिए सामान्य मानक (न्यूनतम) तक किए जाने चाहिए। ऐसे मानक सर्वेक्षण विशिष्ट नहीं हो सकते और किसी सर्वेक्षण में आंकड़ा संसाधन कार्य पूरा होने के बाद तैयार नहीं किए जा सकते। तदनुसार, एनएससी ने आसानी से कार्यान्वित होने वाले न्यूनतम सामान्य मानकों की सिफारिश की और सुझाव दिया कि सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय विस्तृत मानक तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकती है।

(पैरा 3.4 से 3.11)

19. भविष्य के एनएसएस दौरों के लिए अगले दस वर्षों के लिए विषय तय करने के मुद्दे को एनएसएसओ ने फिलहाल रोक दिया है और एनएसएसओ संबंधित विभागों की सलाह से दस वर्ष के चक्र के पूरे मुद्दे पर संपूर्ण रूप से पुन: विचार करेगी। एनएससी ने सिफारिश की है कि वर्ष 2016-17 में यूएफएस फ्रेम को अद्यतन बनाने और डिजीटाईजेशन के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

(पैरा 3.12 से 3.19)

20. एनएसएस 72वें दौर के कार्यकारी समूह के विशेषज्ञों वाले कोर समूह द्वारा एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर छोटी अनुसूचियों के उपयोग तथा भविष्य के एनएसएस दौरों के उपयोग के लिए एक मास्टर प्रतिदर्श तैयार करने की संभाव्यता पर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनएससी ने महसूस किया कि कोर समूह द्वारा अंतिम रिपोर्ट देने के उपरांत इस मुद्दे पर अधिक विस्तार से विचार किया जा सकता है। तथापि, अंतरिम रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा के दौरान, एनएससी ने पांच सिफारिशें की।

(पैरा 3.20 से 3.31)

21. कार्यकारी समूह द्वारा एनएसएस 72वें दौर के लिए तैयार मसौदा सारणीयन योजना तथा अनुमानन प्रक्रिया को कुछ बदलावों/टिप्पणियों के साथ अनुमोदित किया गया।

(पैरा 3.32 से 3.34)

22. एनएसएस का 73वां दौर "अनिगमित गैर कृषिगत उद्यमों (विनिर्माण को छोड़कर) पर सर्वेक्षण को समर्पित है। एनएसएस 73वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार किए गए सर्वेक्षण साधनों को एनएससी द्वारा अनुमोदित किया गया।

(पैरा 3.35 से 3.38)

23. एनएसएस का 74वां दौर सेवा क्षेत्र पर सर्वेक्षण के प्रति प्रतिबद्ध होगा जोकि सेवा क्षेत्र पर वार्षिक सर्वेक्षण की भूमिका तैयार करेगा। इस दौर के लिए कार्य पद्धति तैयार करने हेतु एनएसएस 74वें दौर के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है।

(पैरा 3.39 से 3.41)

24. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के लिए प्रतिदर्श डिजाइन करने के संबंध में, स्थायी पैनल डिजाइन पर श्रम बल सांख्यिकी पर स्थायी समीक्षा की अंतरिम सिफारिशों पर एनएससी ने अपनी सहमति नहीं दी। एनएससी ने इच्छा व्यक्त की कि रोटेशनल पैनल डिजाइन तथा डिजाइन आधारित अनुमानों को ही बनाए रखा जाए। एनएससी ने जांच अनुसूचियों के संबंध में कुछ बदलावों/सुझावों के साथ एससीएलएफएस की सिफारिशें अनुमोदित कर दी। एनएससी ने सिफारिश की कि डब्ल्यूबी सीएपीआई समाधान पीएलएफएस के लिए भी अपनाया जाए।

(पैरा 3.42 से 3.52)

25. एनएससी ने एनएसएसओ के विभिन्न सांख्यिकीय कार्यकलापों और प्रयासों की प्रगति/ स्थिति पर तिमाही समीक्षा की प्रक्रिया आरंभ की है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, तीन समीक्षाएं और सात सिफारिशें की गई।

(पैरा 3.53 से 3.58)

अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा

26. कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें राज्यों को भूमि उपयोग वर्गीकरण को नौ गुणा से बढ़ाकर उनके भूमि अभिलेख प्रपत्रों में बारह गुणा करने के लिए कहा गया। एनएससी ने राज्यों में उपयोग किए जाने हेतु राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी (एनआरएसए) तथा भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) और सिस्टम ऑफ एनवायरन्मेंटल इकॉनामिक एकांउटस (एसईईए) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों में निर्धारित भूमि उयोग तथा भूमि कवर वर्गीकरण पर विचार किया। यह पता चला कि भूमि उपयोग वर्गीकरण पर आधारित भूमि उपयोग सांख्यिकी को कृषि क्षेत्र के दायरे से बाहर सांख्यिकी के स्रोत के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। एनएससी ने सिफारिश की कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक विशेषज्ञ समूह का गठन करके छह महीनों के अंदर इसकी विस्तृत जांच और इस पर सलाह दे सकता है।

(पैरा 4.2 से 4.8)

27. "शिक्षा पर सांख्यिकी" नामक विषय पेपर तथा इस विषय पर चर्चा पेपर पर एनएससी द्वारा विचार किया गया। एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि विषय पेपर तथा चर्चा पेपर पर कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उचित रूप से विचार जाए।

(पैरा 4.9 से 4.18)

28. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक और सेवा मूल्य सूचकांक विकसित करने पर एक टिप्पणी प्रस्तुत की। एनएससी द्वारा

सभी सांख्यिकीय उत्पादों तथा सेवा क्षेत्र के संबंध में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोणों के समन्वय की आवश्यकता के साथ संगत बनाने के संबंध में चार सिफारिशें की।

(पैरा 4.19 से 4.22)

29. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक व्यापक राष्ट्रीय पोषाहार सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस सर्वेक्षण में आगे सुधार करने के लिए एनएससी ने सात सिफारिशें की।

(पैरा 4.23 से 4.28)

30. भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की ग्रामीण जनसंख्या पर पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एनएससी ने महसूस किया कि एनएचएआई का प्रस्ताव दो तरीकों से माना जा सकता है; नामत: (1) उपलब्ध सैकेंड्री आंकड़ों का उपयोग करके विश्लेषणात्मक अध्ययन करेगा और (2) राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े कुछ गांवों जिनके कि पिछले सर्वेक्षणों के आंकड़े उपलब्ध हैं, का पुन: सर्वेक्षण कराना। एनएससी ने सिफारिश की कि एनएचएआई पहले दोनों विकल्पों पर विचार करे तथा यदि वे प्रस्तावित अध्ययन के लिए एक सर्वेक्षण चाहते हैं तो अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताते हुए एनएससी के समक्ष एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(पैरा 4.29 से 4.36)

अध्याय-1

प्रस्तावना

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना

1.1 भारत सरकार ने संकल्प द्वारा अधिसूचना संख्या 85 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III खंड 4 दिनांक 1 जून, 2005 के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य तथा सचिव, नीति आयोग इसके पदेन सदस्य हैं।

1.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक 15.01.2015 को सरकार ने योजना आयोग के हित में नीति आयोग को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तदनुसार, 1 जून, 2005 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को भारत के राजपत्र साप्ताहिक (9-15 मई, 2015) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 9 के द्वारा संशोधित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए सचिव, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिनांक 24 मार्च, 2015 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है।

1.3 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद (सीएसआई) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सचिव हैं। उनकी दोहरी भूमिका है, क्योंकि वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार भी हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता देने के लिए एक लघु सचिवालय, जिसमें एक उपमहानिदेशक तथा एक निदेशक तथा अन्य सहायक कर्मचारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।

1.4 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्यों तथा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की सेवा शर्तें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 10 मई, 2006 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 465 में दी गई हैं।

आयोग की संरचना

1.5 ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसरण में समय-समय पर संघटित, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 12 जुलाई, 2006 से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्षों का है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में अंशकालीक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम निम्नानुसार हैं :

डॉ. प्रणब सेन	-	अध्यक्ष 24.02.2016 तक
प्रो. एस. महेन्द्र देव	-	सदस्य, साथ ही कार्यवाहक अध्यक्ष (25.02.2016 से)
प्रो. राहुल मुखर्जी	-	सदस्य

श्री रमेश कोल्ली	-	सदस्य 02.06.2015 तक
डॉ. राजीव मेहता	-	सदस्य 06.11.2015 से
डॉ. मनोज पांडा	-	सदस्य 09.11.2015

1.6 रिपोर्टाधीन संपूर्ण अवधि में डॉ. टी सी ए अनंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद तथा आयोग के सचिव थे।

आयोग का अधिदेश

1.7 भारत सरकार के दिनांक 1 जून, 2005 के तथाकथित संकल्प में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को निम्नलिखित अधिदेश प्राप्त है :

(क) राष्ट्रीय महत्व तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख सांख्यिकी की पहचान करना;

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग को सहायता देने के लिए व्यावसायिक समितियों अथवा कार्यकारी समूह का गठन करना;

(ग) सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां और प्राथमिकताएं तैयार करना;

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकी अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण तथा प्रक्रियाएं तैयार करना तथा मूल सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय गुणवत्तापरक मानक निर्धारित करना;

(ङ) विभिन्न आंकड़ा सैट जारी करने के कैलेंडर सहित, मूल सांख्यिकी के संग्रहण, सारणियन तथा प्रसार पर राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करना;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी और सांख्यिकीय प्रणाली की संचार संबंधी आवश्यकताओं सहित शासकीय सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करना;

(छ) शासकीय सांख्यिकी में जनता के भरोसे में सुधार लाने हेतु उपाय सुझाना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्र के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय कार्यकलापों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपाय सुझाना;

(झ) मंत्रालयों, विभागों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच सांख्यिकी समन्वय बिठाना;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय गतिविधियों का सांख्यिकीय लेखा परीक्षण करना;

(ट) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, के अनुच्छेद (ग) से (छ) में दिए गए मानकों, कार्यनीतियों तथा अन्य उपायों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने की सिफारिश करना;

(ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए सांविधिक अपेक्षाओं सहित सांख्यिकीय मामलों पर विधायी अपेक्षाओं पर सरकार को सलाह देना; और

(ड) निर्धारित नीतियों, मानकों तथा कार्यप्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली की कार्यकारिणी की निगरानी और समीक्षा करना तथा वर्धित निष्पादन के लिए उपाय सुझाना।

1.8 ऊपर उल्लिखित अधिदेश के अलावा, केंद्र सरकार की दिनांक 10 अगस्त, 2006 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में 30 अगस्त, 2006 को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के शासी परिषद के सभी कार्य एनएससी को सौंपे गए कार्यकलापों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर आयोजित विभिन्न दौरों जो कि सामान्यता एक वर्ष की अवधि के होते हैं और कृषि वर्ष के समांनातर होते हैं, के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों को देखना है। एनएसएस के 68वें दौर से आगे से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने उसके द्वारा निर्णीत विषयों पर कार्यकारी समूहों का गठन इस प्रकार से किया है कि वे प्रत्येक दौर के सर्वेक्षण गतिविधियों के संपूर्ण कार्यकलापों को देखने में मदद कर सकेंगे।

1.9 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकीय सर्वेक्षण के संबंध में कुछ निरीक्षण कार्य सौंपे गए हैं। इस प्रयोजनार्थ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के असाधारण राजपत्र भाग-III के खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 232 के माध्यम से कुछ दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं जिसमें केंद्र से संबंधित मंत्रालयों को कोई भी सांख्यिकीय सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सहमति लेनी होगी। सहमति के अलावा, दिशानिर्देशों में, एनएससी की निगरानी में आयोजित विभिन्न सर्वेक्षणों के लिए एनएससी द्वारा विशेषज्ञों के नाम सुझाने और एनएससी की सलाह से सर्वेक्षण परिणामों की मसौदा रिपोर्ट को एनएससी की निगरानी में अंतिम रूप देने का प्रावधान है।

आयोग का कार्यकरण

1.10 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आयोग ने नौ बैठकें आयोजित की। बैठकों की तिथियां नीचे दी गई हैं।

बैठक संख्या	**बैठक की तिथि**
74	6 और 7 अप्रैल, 2015
75	25 और 26 मई, 2015
76	16 और 17 जून, 2015
77	4 और 5 अगस्त, 2015
78	29 और 30 सितम्बर, 2015
79	26 और 27 नवम्बर, 2015
80	13 जनवरी, 2016
81	9 फरवरी, 2016
82	19 फरवरी, 2016

1.11 सभी बैठकों में, आयोग को सौंपे गए सभी मुद्दों तथा उसके अधिदेश में कवर होने वाले सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। आयोग द्वारा संबंधित क्षेत्रों में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार लाने हेतु संबंधित विषय वस्तु के विशेषज्ञों के साथ भी सलाह एवं विचार विमर्श किया गया। आयोग की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त रिकार्ड किए गए और सभी सदस्यों में परिचालित किए गए तथा बाद की बैठकों में उन पर विचार करने के उपरांत उनकी पुष्टि की गई। आयोग द्वारा जब भी कभी कोई सिफारिश की गई उसे संबंधित मंत्रालय को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

समितियों की संरचना

1.12 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को, विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर सहायता देने के लिए व्यावसायिक समितियां गठित करने का अधिदेश प्राप्त है। समय-समय पर गठित एनएसएस कार्यकारी समूह के अलावा (पैरा 1.8 में उल्लिखित) एनएससी के आग्रह पर वर्ष 2015-16 में गठित अन्य समितियों के ब्योरे नीचे पैरा में दिए गए हैं।

1.13 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सलाह पर, डॉ. सौमित्रा चौधरी, तात्कालिक सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल, 2014 को राजकोषीय सांख्यिकी पर एक समिति गठित की गई। भले ही योजना आयोग को भंग कर दिया हो, फिर भी डॉ. सौमित्रा चौधरी की अध्यक्षता में समिति ने अपना कार्य जारी रखा और 2 दिसम्बर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रो. एस महेन्द्र देव, सदस्य, एनएससी इस समिति के सह-अध्यक्ष थे। सीएसओ (एनएडी) के अधिकारियों द्वारा, एनएससी की 80वीं बैठक से पहले, सौमित्रा चौधरी समिति की रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति दी। उनके द्वारा कहा गया कि संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच, उनके विचार जानने के लिए, रिपोर्ट परिपत्रित की गई थी। उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने संबंधित सरकारी एजेंसियों से उनके विचार जानने के लिए, रिपोर्ट उन्हें परिपत्रित कर दी है और कार्यान्वयन कार्यनीति के साथ वे रिपोर्ट पर और अधिक विस्तृत जानकारी एनएससी के समक्ष रखेंगे।

1.14 अपनी 70वीं बैठक (सितम्बर, 2014) में, एनएससी ने सिफारिश की कि सेवा क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएस) की विस्तृत कार्य पद्धति तैयार कर तथा उसका आयोजन करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सेवा क्षेत्र पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाए। समिति गठित करने का प्रस्ताव सीएसओ (ईएसडी) द्वारा एनएससी की 74वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया है। एनएससी ने समिति में वाणिज्य विभाग तथा केंद्रीय बोर्ड उत्पाद एवं सीमा शुल्क के प्रतिनिधियों को शामिल करने की शर्त पर प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार, 21.10.2015 को डॉ. अरविंद विरमानी की अध्यक्षता में सांख्यिकी और कार्यक्रम कर्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित समिति कार्य कर रही है।

1.15 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति का अंतिम बार गठन, राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन 2004-05 से 2011-12 करने के उपरांत प्रो. के सुन्दरम की अध्यक्षता में

नवम्बर, 2010 को की गई थी। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :

(i) आंकड़ा आधार की समीक्षा करना और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षणों, अध्ययन प्रकार आदि के माध्यम से आंकड़ा संग्रहण।

(ii) आर्थिक विश्लेषण तथा नीति और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन की पद्धति तथा प्रस्तुतीकरण पर सलाह देना।

(iii) कवरेज के अनुसार राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में सुधार लाने के लिए अध्ययन आरंभ करने के लिए सलाह देना, सरकार की नवीनतम नीतियों/प्रयासों के प्रभाव को कैपचर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा सुझाए गए नए वर्गीकरण को अपनाना तथा विभिन्न सांस्थानिक क्षेत्रों के लिए लेखाओं का सूत्र विकसित करना।

(iv) नई श्रृंखला के अनुसार राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, स्रोत तथा पद्धति पर कार्यपद्धति दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के दिशानिर्देश उपलब्ध कराना; और

(v) राष्ट्रीय लेखा के संबंध में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा समिति को संदर्भित किसी अन्य मामले पर सलाह देना।

1.16 सीएसओ (एनएडी) द्वारा, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति के पुनर्गठन के लिए, एनएससी की 82वीं बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के उपरांत, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी ने सिफारिश की कि निम्नलिखित संरचना के साथ उन्हीं विचारार्थ विषयों पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जाए।

(1) डॉ. मनोज पांडा, सदस्य, एनएससी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले एसीएनएएस के विशेष आमंत्रित व्यक्ति होंगे।

(2) एसीएनएएस में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य होंगे :

(i) प्रो. के सुन्दरम - अध्यक्ष
(ii) प्रो. बिश्वनाथ गोलदार
(iii) डा. एस एल शेट्टी
(iv) प्रो. एन आर भानूमूर्ति
(v) डॉ. शशांक भिड़े
(vi) डॉ. ए सी कुलश्रेष्ठ
(vii) श्री प्रताप नारायण

(viii) श्री रमेश कोल्ली
(ix) श्री आशीष कुमार
(x) डॉ. ए. बी. चक्रवर्ती
(xi) डॉ. चेतन घाटे
(xii) डॉ. इगामब्रह्म
(xiii) डॉ. ए गणेश कुमार

(3) एसीएनएएस के सरकारी सदस्य निम्नानुसार हैं :

(i) मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय
(ii) महानिदेशक (सीएसओ)
(iii) महानिदेशक (एनएसएसओ)
(iv) नीति आयोग के प्रतिनिधि
(v) प्रधान सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग
(vi) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(vii) कार्यकारी निदेशक (डीईपीआर/डीएसआईएम), भारतीय रिजर्व बैंक
(viii) प्रभारी - अधिकारी (डीईपीआर), भारतीय रिजर्व बैंक
(ix) प्रभारी अधिकारी (डीएसआईएम), भारतीय रिजर्व बैंक
(x) निदेशक, अर्थ सांख्यिकी निदेशालय, कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड
(xi) अपर महानिदेशक, सीएसओ (एनएडी) - सदस्य सचिव

1.17 अपनी 72वीं बैठक (दिसम्बर, 2014) में एनएससी ने सिफारिश की कि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) के माध्यम से आउटसोर्स कराकर समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु सर्वेक्षण साधन शीघ्रता से तैयार करने के लिए अधिकारियों का छोटा समूह गठित कर सकता है। तदनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 5 फरवरी, 2015 को महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक समूह गठित किया। अपनी 75वीं बैठक में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने, अधिकारियों के समूह के सर्वेक्षण साधना शीघ्रता से तैयार करने के लिए कहा। सीएसओ (एसएसडी) के अधिकारियों द्वारा, समय उपयोग सर्वेक्षण की आयोजना नवीनतम स्थिति पर एनएससी की 78वीं बैठक में एक प्रस्तुतीकरण दिया। यह कहा गया कि अधिकारियों के समूह द्वारा आंकड़ा संग्रहण के लिए जांच अनुसूची विकसित की गई है और आंकड़ा संग्रहण की उचित कार्यपद्धति विकसित करने तथा अनुसूचियों को प्रचारित करने के दौरान आने वाली परेशानियों का मूल्यांकन करने हेतु समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए कार्यकलापों के राष्ट्रीय वर्गीकरण के क्षेत्र में इसकी प्री-टेस्टिंग की सिफारिश की। प्री-टेस्टिंग की प्रक्रिया एनएसएसओ (एओडी) के छह क्षेत्रीय कार्यालयों में आरंभ की तथा अक्तूबर, 2015 के अंत तक इसके पूरा होने की संभावना है। सीएसओ (एसएसडी) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को प्री-टेस्टिंग प्रक्रिया पर अपनी फीडबैक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

सांख्यिकी मामलों पर आमंत्रित विषय पेपर

1.18 एनएससी के आग्रह पर संबंधित विषय से जुड़े विशेषज्ञों से विषयक पेपर सीएसओ (एसएसडी) द्वारा जनवरी, 2013 में आमंत्रित किए गए थे। सीएसओ (एसएसडी) को जेंडर सांख्यिकी और शिक्षा सांख्यिकी पर प्राप्त विषय पेपरों के संबंध में चर्चा लेख तैयार करने के लिए कहा गया था। सीएसओ (एसएसडी) के अधिकारियों द्वारा, जेंडर सांख्यिकी के विषय पेपर पर एनएससी की 75वीं बैठक में एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया गया। एनएससी ने बैठक में कहा कि जेंडर सांख्यिकी पर विचार-विमर्श पेपर को अद्यतन बनाया जाए और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं पर सूचना एनएससी के समक्ष रखी जाए।

(1) वर्तमान स्थिति में पुरुषों और महिलाओं से संबंधित राज्यवार व्यवसाय, आय तथा मजदूरी आदि पर सूचना।
(2) एनएसएस सर्वेक्षणों के माध्यम से उपलब्ध सूचना।

1.19 शिक्षा सांख्यिकी पर विषयक पेपर तथा विषय पर सीएसओ (एसएसडी) द्वारा तैयार चर्चा लेख की एनएससी द्वारा समीक्षा की गई और समीक्षा के ब्योरे अध्याय-4 में दिए गए हैं।

इस रिपोर्ट के बारे में

1.20 सीएसओ और एनएसएसओ के सांख्यिकीय कार्यकलापों पर एनएससी की समीक्षा के ब्योरे और उस पर की गई अनुशंसाएं क्रमश: अध्याय -2 और अध्याय-3 में दी गई हैं। अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा के ब्योरे और एनएससी द्वारा उस पर की गई अनुशंसाएं अध्याय-4 में दी गई हैं।

आयोग का व्यय

1.21 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापन्न से संबंधित वार्षिक व्यय जिसमें वेतन एवं मजदूरी, घरेलू पर्यटन, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं तथा आयोग की दैनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं को संसद की सम्मति से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक मांग से पूरा किया जा रहा है।

1.22 वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के गैर योजना बजट के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए 139 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। यह रिपोर्ट मिली है कि वर्ष 2015-16 के दौरान 95.42 लाख रुपए का व्यय किया गया।

अध्याय-2

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सांख्यिकी कार्यकलापों की समीक्षा

2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरण तथा निर्धारित नीतियों, मानकों और कार्य प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली की कार्यकरण की निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों हेतु कार्य प्रणाली बनाना और निष्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने का अधिदेश प्राप्त है। इस अध्याय में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा और सिफारिशें की।

आईआईपी और सीएसओ (ईएसडी) की आईआईपी ईकाई की स्रोत एजेंसियों का सुदृढीकरण

2.2 आईआईपी के आधार वर्ष में संशोधन तथा उसके संकलन की समग्र प्रणाली में सुधार लाने के लिए सीएसओ ने डा. सौमित्रा चौधरी, पूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह गठित किया। कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की। सीएसओ (ईएसडी) के आईआईपी यूनिट में कार्यकारी समूह की सिफारिशों के अनुसार कार्यकलापों के एक नए सैट की योजना बनाई गई है। कार्यकर्ताओं के नए सैट में निम्नलिखित कार्यों की मदें शामिल की गई हैं।

(1) विनिर्माण उद्यमों से सीधे आंकड़ा संग्रहण के लिए सीएसओ पर एक वेब पोर्टल स्थापित करना।

(2) गुणवत्ता आश्वासन तथा आईआईपी और औद्योगिक सांख्यिकी में सुधार के लिए विश्लेषणात्मक अभ्यास।

(3) उत्पादन शुल्क रिर्टनों में उत्पादन आंकड़ा के वैधीकरण तथा सांख्यिकी के लिए केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के साथ विनिमय तथा संपर्क का चैनल स्थापित करके आईआईपी आंकड़ा के अवधारणात्मक/कार्यप्रणालीगत फ्रेमवर्क में सुधार लाना तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपाय सुझाना।

(4) आईआईपी तथा समग्र प्रसंग में औद्योगिक निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए आवधिक अंतरालों पर आर्थिक संकेतकों पर डाटा सेट और तथ्यात्मक शीट तैयार करना।

(5) उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सांख्यिकी समन्वय।

2.3 मौजूदा सेट-अप में आईआईपी के लिए आंकड़ों के निर्धारित मानकों का अनुपालन करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में आंकड़ा आपूर्ति करने वाली स्रोत एजेंसियों कठिनाइयों का

सामना कर रही हैं। स्रोत एजेंसियों द्वारा अक्सर उनकी यूनिटों में सांख्यिकीय तौर पर प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी का मुद्दा उठाया जाता है। आंकड़ों के संकलन, वैधीकरण, प्रतिक्रिया न देने वालों का अनुमान लगाने जैसी सांख्यिकीय प्रचालनों के निष्पादन में अपेक्षित कुशल सेट की अनुपस्थिति से सांख्यिकीय उत्पादन की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के नए सैट से इन समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

2.4 एनएससी ने अपनी 71वीं बैठक में, आईआईपी के प्रस्तावित संशोधन में समयपरकता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, जनशक्ति के अनुसार स्रोत एजेंसियों तथा सीएसओ के आईआईपी यूनिट को सुदृढ़ बनाने का विस्तृत प्रस्ताव स्रोत एजेंसियों की सलाह में तैयार किया जाए और एनएससी के समक्ष रखा जाए। तदनुसार, सीएसओ (ईएसडी) ने मौजूदा सांख्यिकी क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव एनएससी के विचारार्थ और सिफारिश के लिए उसकी 75वीं बैठक में प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में नौ स्रोत एजेंसियों तथा सीएसओ (ईएसडी) के आईआईपी यूनिट में विभिन्न स्तरों पर स्टाफ क्षमता 49 से बढ़ाकर 103 करने के लिए कहा गया है।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

2.5 उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत, एनएससी ने सिफारिश की कि, सीएसओ (ईएसडी) द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर और स्पष्टता लाने के लिए एक नोट प्रस्तुत करे।

(क) क्या नई श्रृंखला में आंकड़ा संग्रहण सांख्यिकीय अधिग्रहण अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अंतर्गत किया जा सकता है।

(ख) क्या स्रोत एजेंसियों, विशेष रूप से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय तथा भारतीय खान ब्यूरो ने पदों के सृजन के लिए अलग से कोई प्रस्ताव चलाया है।

(ग) क्या भारतीय सांख्यिकी सेवा की संवर्ग पुनरीक्षा के अंतर्गत, आईपीपी की नई श्रृंखला के लिए आवश्यक जनशक्ति पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

2.6 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ (ईएसडी) के पत्र संख्या 4(75)/2014-एनएससी, दिनांक 3 जून, 2015 को अग्रेषित किए गए थे।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

पिछली एनएससी वार्षिक रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की स्थिति

2.7 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 1 जून, 2005 (अध्याय में उल्लिखित) जो कि एनएससी गठित करने को लेकर सरकारी अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ, संसद के दोनों सदनों में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ-साथ एनएससी की वार्षिक रिपोर्टें भी रखी जाती हैं। अधिसूचना का उद्देश्य नीचे दिया गया है :

"वित्त वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केंद्र सरकार को भेजेगा। केंद्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ उसमें की गई अनुशसांओं पर की गई कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकृत न किए जाने के कारणों पर एक ज्ञापन संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करेगी। जहां कोई अनुशंसा अथवा कोई भी भाग किसी राज्य सरकार से संबंधित होगा, तो आयोग ऐसी अनुशंसा और उक्त भाग को राज्य सरकारों को अग्रेषित करेगा जो राज्य संबंधी अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन सहित उक्त भाग को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।"

2.8 एनएससी की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का कार्य सीएसओ (सीएपी) द्वारा किया जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा एनएससी द्वारा उसकी 76वीं बैठक में की गई थी। तब तक, एनएससी ने वित्त वर्ष 2006-07 से 2013-14 के लिए, सरकार (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) को आठ रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी थीं)।

2.9 यह नोट किया गया कि की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ 2007-08 से 2010-11 तक के वर्षों के लिए एनएससी की वार्षिक रिपोर्टों की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों सहित सभा पटल पर रखी गई थी। वार्षिक रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने के उपरांत उन्हें सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। वर्ष 2007-08 से 2010-11 की वार्षिक रिपोर्टें तथा 2009-10 तथा 2010-11 की की गई कारईवाई की रिपोर्टें मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2.10 एनएससी सचिवालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 की वार्षिक रिपोर्टें एनएससी द्वारा सभा पटल पर (एटीआर सहित) प्रस्तुत की गई। इसलिए ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। एनएससी द्वारा इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया गया, विशेष रूप से जब कि एनएससी के विधान में वार्षिक रिपोर्टों को सभा पटल में रखना अनिवार्य माना गया है। यह नोट किया गया कि रिपोर्टों को सभा पटल पर नहीं रखने का एक प्रमुख कारण कई मंत्रालयों/विभाग से एटीआर प्राप्त नहीं होना है।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

2.11 उपर्युक्त समीक्षा के आधार पर एनएससी द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एटीआर प्राप्त करने की समय-सीमा 31 अक्तूबर, 2015 निर्धारित की जाए और आने वाले शीतकालीन सत्र में वार्षिक रिपोर्टों को सभा पटल पर रखा जाए तथा जिन मंत्रालयों/विभागों की गैर-अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की जाए।

(2) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सभी वार्षिक रिपोर्टों की स्थिति सत्यापित की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लंबित रिपोर्टों को आने वाले शीतकालीन सत्र में सभी पटल पर प्रस्तुत किया जाए।

2.12 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ (सीएपी) को पत्र संख्या 4(76)/2014-एनएससी दिनांक 27 जुलाई, 2015 के माध्यम से अग्रेषित करेगा।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

आगामी आर्थिक गणना का संचालन करना

2.13 यह नोट किया गया कि वर्ष 1977, 1980, 1990, 1998, 2005 तथा 2013 के दौरान अब तक आयोजित छह आर्थिक गणनाओं के लिए कोई भी समय-सीमा तय नहीं की गई थी। छठी आर्थिक गणना जनवरी, 2013 - अप्रैल, 2014 के दौरान आयोजित की गई थी।

2.14 सीएसओ (ईएसडी) ने भावी और आगामी (सातवीं) आर्थिक गणना के लिए फील्डवर्क की संभावित की समयावधि पर एक नोट प्रस्तुत किया है। नोट पर एनएससी की 78वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था।

2.15 नोट में बताया गया कि विभिन्न राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा आयोजित आर्थिक गणना के यूएनएसडी द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण (2006) पर 114 देशों ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि आधे से अधिक देश प्रत्येक 5 सालों में आर्थिक गणना करवाते हैं और एशिया (चीन और जापान सहित) के 80 प्रतिशत से अधिक देश 5 वर्ष के अंतराल पर आर्थिक गणना आयोजित करते हैं।

2.16 सीएसओ (ईएसडी) ने अपने नोट में आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों में, नियमित समय अंतरालों पर (पांच वर्ष) आर्थिक गणना अयोजित करने की सिफारिश की गई है जिससे कि मूल अर्थ सांख्यिकी के ठोस बैंचमार्क स्थापित हो सकें। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने वर्ष 2011-12 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि भारत में नियमित तथा पांच वर्ष के निश्चित अंतराल पर अर्थिक गणना आयोजित की जाए।

2.17 अपनी 78वीं बैठक में दिए गए इन पुरक और विचार-विमर्शों के आधार पर एनएससी ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पहलुओं पर टिप्पणी दी है :

(1) अखिल भारत रिपोर्ट तथा छठी आर्थिक गणना की उद्यम निर्देशिका शीघ्र जारी की जानी है।

(2) छठी आर्थिक गणना की उद्यम निर्देशिका जारी होने पर, उसे राज्यों द्वारा तैयार बिजनेस रजिस्टर के साथ मैच किया जाए ताकि इस प्रक्रिया से निर्देशिका स्वत: अद्यतन हो जाए।

(3) विभिन्न गणनाओं के आंकड़े समेकित करने की एक दीर्घावधिक आवश्यकता भी है, जो एक ही प्रकार की भूगौलिक इकाइयों की गणना का आंकड़ा एकत्रित करना अनिवार्य बन जाता है। छठी आर्थिक गणना में 2011 जनगणना परिगणना ब्लॉकों का उपयोग करके आंकड़ा एकत्रित किया गया था, जिससे दो जनगणनाओं के आंकड़ों का समेकन आसानी से हो गया था। तथापि, समेकन प्रक्रिया अभी आरंभ की जानी है।

(4) वर्ष 2011 जनगणना आंकड़ों तथा छठी आर्थिक गणना आंकड़ों के समेकन कार्य अभ्यास से एनएसएसओ द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक गणना अनुवर्ती सर्वेक्षण के प्रतिदर्श कार्यनीति की समीक्षा करना सुकर होगा।

(5) एनएसएसओ फिलहाल अपने सर्वेक्षणों में मास्टर प्रतिदर्श फ्रेम का उपयोग करने की जांच कर रहा है। यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो अखिल भारत आर्थिक गणना करने की आवश्यकता पर पुन: विचार किया जा सकता है।

(6) अगली जनगणना वर्ष 2021 में आयोजित की जाएगी, जिसमें परिगणनक ब्लॉकों की नए सिरे से पहचान की जाएगी। 2021 जनगणना परिगणना ब्लॉकों के ब्योरे वर्ष 2023 तक उपलब्ध होंगे, जिससे उन परिगणनक ब्लॉकों में आर्थिक गणना करना आसान होगा।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

2.18 ऊपर उल्लिखित पहलुओं से उठने वाली प्रवाही परिस्थितियों के मद्देनजर, एनएससी द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) अगले (7वीं) आर्थिक गणना आयोजित करने का समय/आवश्यकता पर कोई दृष्टिकोण बनाना अभी जल्दी होगा।

(2) छठी आर्थिक गणना और बिजनेस रजिस्टर से प्राप्त उद्यमों के निर्देशिका की तुलना कुछ चुने हुए जिलों से किया जाए और परिणाम एनएससी के समक्ष रखे जाएं।

2.19 ऊपर उल्लिखित सिफारिशें सीएसओ (ईएसडी) को पत्र संख्या 17(1)(78)/एनएससी/2015-16 दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 के माध्यम से अग्रेषित किए गए थे।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पिछली श्रृंखलाएं (आधार वर्ष 2012 =100)

2.20 सीएसओ (एनएडी) द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2012 =100) की पिछली श्रृंखलाएं संकलित करने पर, एनएससी की 78वीं बैठक में उसके विचारार्थ एक नोट प्रस्तुत किया गया। एनएडी के अधिकारियों द्वारा बैठक में एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुद्दे से संबंधित तथ्यों का सार नीचे के पैराओं में दिया गया है।

2.21 सीएसओ द्वारा जनवरी 2015 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2010 =100 से बदल कर 2012 =100 कर दिया गया। इस संशोधन की वजह से जो विवाद उठा वह पिछली श्रृंखलाएं की उपलब्ध करवाने के संबंध में था। उप समूह, समूह स्तर पर अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त) तथा सभी मदों (सामान्य) के स्तर जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2014 के लिए संकलित किए गए थे और उन्हें पब्लिक डोमेन पर रखा गया था। इसके अलावा, जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक अखिल भारत सीपीआई (संयुक्त) भी जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए।

2.22 यह बताया गया कि एसपीसीएल संबंधी टीएसी ने जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के लिए सीपीआई की पिछली श्रृंखला की गणना के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने की सिफारिश की है :

(क) पिछली श्रृंखला का आकलन करने के लिए लिंकिंग फैक्टर के स्थान पर वास्तविक मूल्य आंकड़ा का उपयोग किया जाए।

(ख) आवास किराया के अलावा, सभी मदों के लिए, विभिन्न बाजारों के वर्ष 2012 के आधार मूल्यों के स्थान पर चालू माह के मूल्य सापेक्ष के ज्यामितिक माध्यमों को मद सूचकांक के तौर पर लिया जाए। इस पद्धति का उपयोग मौजूदा श्रृंखला के लिए किया जा रहा है।

(ग) आवास किराया के लिए, वर्ष 2012 के सभी माहों के लिए निश्चित आधार प्रक्रिया का उपयोग किया जाए तथा वर्ष 2011 के माहों के लिए प्रतिलोम दिशा में चेन आधार प्रक्रिया का उपयोग किया जाए। यदि वर्ष 2012 के लिए मासिक आवास किराया का औसत 100 के निकट नहीं आता है (अर्थात 99.5 तथा 100.5 के बीच) तो आकलित सूचकांक को 100 बताया जाए।

2.23 यह भी कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि ने टीएसी के सदस्य के तौर पर, जनवरी-मई, 2013 की अवधि के लिए आवास किराया सूचकांक को बहिर्वेशन करने का सुझाव दिया, जिसे आवास के संपूर्ण स्टॉक के आवास किराया आंकड़ों की अनुपलब्धता की वजह से 100 पर रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया कि मासिक आवास किराया आंकड़ा जो कि प्रतिदर्श के 1/6 भाग के लिए उपलब्ध है का उपयोग करने, किराए में औसत परिवर्तन के संदर्भ में, जो कि प्राथमिक सम्मुच्यों (अर्थात समग्र माध्य अध्यारोपण) में उपलब्ध है के किराए में औसत परिवर्तन के संदर्भ में उस अवधि के किराए में अधिरोपित किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए अधिरोपण में दिसम्बर,

2012 के लिए (पिछली श्रृंखलाओं) के सूचकांकों को अगले पांच महीने अर्थात मई, 2013 तक आगे ले जाया जाए।

2.24 पिछली श्रृंखलाओं (आवास किराया तथा आवास किराया सूचकांक के अलावा अन्य मदें) की गणना के लिए टीएसी द्वारा सुझाई गई कार्य पद्धति और जनवरी से मई, 2013 के लिए आवास किराया श्रृंखला के बर्हिवेशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए प्रथम विकल्प का अनुपालन करते हुए सूचकांक संकलित किए गए और परिणाम 78वीं एनएससी बैठक में प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा परिणाम स्वीकृत किए गए।

2.25 एनएससी की 78वीं बैठक में जनवरी, 2013 से मई, 2013 की अवधि के लिए बहिर्वेशित आवास किराया सूचकांक और परिणामस्वरूप संशोधित आवास तथा समग्र सीपीआई/ (शहरी) तथा सीपीआई (संयुक्त) के सामान्य सूचकांकों को जारी करके पब्लिक डोमेन में रखा जाए, इससे उपभोक्ताओं में भ्रम उत्पन्न होगा चूंकि जनवरी, 2013 के आगे से आधार वर्ष 2012 =100 पर सीपीआई श्रृंखला पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

2.26 विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत एनएससी द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) पैरा 2.22 में उल्लिखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के लिए अभिकलित पिछली श्रृंखलाओं को पब्लिक डोमेन पर रखा जाए।

(2) जनवरी, 2013 से मई, 2013 की अवधि के लिए बहिर्वेशित आवास किराया सूचकांक और परिणामस्वरूप संशोधित आवास तथा समग्र/सीपीआई (शहरी) तथा सीपीआई (संयुक्त) भी जारी किया जाए। इसे पिछली श्रृंखलाओं घोषित किया जाए तथा उपभोगकर्ताओं में संशय की स्थिति से बचने के लिए एक उचित व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जानी चाहिए।

2.27 उपर्युक्त सिफारिशें पत्र संख्या 17(1)(78)एनएससी/2015-16 दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 के माध्यम से सीएसओ (एनएडी) को अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में परिवर्तन (एएसआई)

2.28 भूतपूर्व सदस्य एनएससी, प्रो. बी एन गोलदार की अध्यक्षता में दिनांक 03-04 अगस्त, 2015 को औद्योगिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति की 27वीं बैठक में एनएससी द्वारा वार्षिक

उद्योग सर्वेक्षण की कार्यपद्धति में कुछ परिवर्तन सुझाए गए हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों को अधिकारियों द्वारा एनएससी की 79वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2.29 एएसआई 2015-16 से कार्यान्वित होने वाले, एएसआई के प्रतिदर्श चयन के लिए प्रस्तावित परिवर्तन, विभिन्न राज्यों में गणना क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए विभिन्न रोजगार कट-आफ, प्रभावी प्रतिदर्श आकार को बढ़ाने तथा एएसआई फ्रेम से सरकारी विभागीय इकाइयों को छोड़ने से संबंधित है। एससीआईएस द्वारा एएसआई की जांच अनुसूची में कई संशोधन भी सुझाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (क) इकाई की स्थिति कोड (ख) संयुक्त रिटर्नों का प्रबंधन (ग) पूंजीगत लेनदेन/परिवर्तनीय डिबेंचरों/सब्सिडी तथा छूट/गैर प्रचालन व्यय/लिंग के अनुसार ठेका मजदूरों के ब्योरे (ड.) अनुसंधान एवं विकास व्यय तथा (च) आईसीटी तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय जैसे कई परिवर्तन सुझाए एससीआई ने आगे अतिरेक के कारण अनुसूची में से "स्वामित्व के प्रकार" वाले कोड को हटाने की सिफारिश की और "संगठन के प्रकार" की कोडिफाइंग संरचना में सुधार करने के लिए कहा। एससीआईएस ने विदेशी निवेश की उपलब्धता तथा एएसआई में आईटीसी - एचएस कोड के अनुसार उत्पादवार ब्योरों पर सूचना एकत्रित करने की भी सिफारिश की। एससीआईएस ने यह भी सुझाया कि एएसआई की कवरेज का विस्तार फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) तथा 2एम (ii) बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की स्थिति) अधिनियम, 1966 के कार्यक्षेत्र से भी आगे किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, सीएसओ (एनएडी) द्वारा तैयार किए जाने वाले बिजनेस रजिस्टर तथा छठी आर्थिक गणना के आधार पर अंतिम रूप से तैयार की जा रही उद्यमों की निर्देशिका का सीएसओ (आईएस विंग) द्वारा उपयोग की जाएगी।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

2.30 कुछ पहलुओं को छोड़कर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने एससीआईएस की सिफारिशों को मानते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(1) एएसआई की सर्वेक्षण कवरेज से तीन लगातार वर्षों के लिए 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयों को छोड़ने के प्रस्ताव के संबंध में यह देखा गया कि फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत कामगारों की अधिकतर संख्या से है, जो कि इकाई द्वारा किसी एक दिन को काम पर रखे गए होंगे न कि कामगारों की औसत संख्या जैसाकि एएसआई में अपनाया गया है और अधिनियम के अंतर्गत "कामगार" की परिभाषा एएसआई की परिभाषा से भिन्न है। ऐसी स्थिति में, एएसआई के अनुसार कामगारों की संख्या भिन्न हो सकती है। चूंकि, एएसआई के अंतर्गत कवरेज का निर्णय करने के लिए कामगारों की संख्या (जो कि परिवर्तनशील हो सकती है) पर आधारित मानदंड की तुलना में पंजीकरण मानदंड अधिक सबल है और चूंकि इसके परिणामस्वरूप इकाइयां कामगारों की अधिक संख्या को काम पर रख सकती हैं, इसके अलावा, तीन लगातार वर्षों के लिए 10 से कम

कामगारों वाली इकाइयों को एएसआई कवरेज से बाहर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई।

(2) एक ही राज्य कोड, जिला कोड, 3-अंकीय एनआईसी कोड तथा राज्य X जिला X एनआईसी स्तर के 3-अंकीय फ्रेम पर नए प्रतिदर्श अभिकल्प के अनुसार नए परिमाण पर भी सहमति नहीं बनी, क्योंकि इससे आंकड़ा संग्रहण में कठिनाइयां आ सकती हैं। अत: एक राज्य 3-अंकीय एनआईसी कोड वाली इकाइयों के लिए संयुक्त रिर्टन संकलित की जा सकती है। यदि राज्य स्तर पर प्राप्त संयुक्त रिटर्नों के आंकड़ों को जिला स्तर पर आबंटित करना ही पड़ता है तो आबंटन का मापदंड तैयार किया जाना चाहिए तथा मापदंड के अनुसार प्राप्त अतिरिक्त सूचना को संयुक्त रिटर्नों में संग्रहित किया जाए।

(3) "संगठन के प्रकार" के लिए प्रस्तावित संशोधित संरचना में सीमित दायित्व भागीदारी के लिए उचित कोड दिया जाए।

(4) एएसआई अनुसूची में "वितरणात्मक व्यय" के अंतर्गत "सब्सिडी/छूट" शीर्ष के उत्पादवार सब्सिडी/छूट शामिल करने के लिए उत्पादन ब्लॉक में एक नया कालम जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया और एक्स-फैक्ट्री मूल्य प्राप्त करने के लिए उस कालम में दर्ज मूल्य को सकल बिक्री मूल्य के साथ जोड़ा जाए। आउटपुट ब्लॉक के संदर्भित कालम में "सब्सिडी/छूट" के स्थान पर केवल "सांख्यिकी" को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

(5) आउटपुट ब्लॉक में आईटीसी-एचएस कोड के संदर्भ में आंकड़ा संग्रहण आरंभ करने के संदर्भ में, आईटीसी-एचएस कोड के आधार पर प्रत्येक उत्पाद की मात्रा तथा निर्धारण मूल्य दर आंकड़ा एकत्रित करने के लिए एक अलग ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया गया।

2.31 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ (ईएसडी) को पत्र संख्या 17(1)(79)/एनएससी/2015-16 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

बाल लिंग अनुपात पर रिपोर्ट

2.32 एनएससी ने अपनी 59वीं बैठक (अगस्त, 2013) में सिफारिश की कि, सीएसओ (एसएसडी), भारत के महापंजीयक का कार्यालय तथा एनएसएस आंकड़ों से 0-6 वर्ष आयु-वर्ग के लिंग अनुपात पर अध्ययन करने की संभाव्यता की जांच करे। सीएसओ (एसएसडी) द्वारा इस विषय पर कराए गए अध्ययन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एसएसडी के अधिकारियों द्वारा एनएससी की 79वीं बैठक में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

2.33 दी गई टिप्पणी तथा प्रस्तुतीकरण से एनएससी द्वारा अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पहलुओं को नोट किया।

(क) आरजीआई के जनगणना आंकड़ों तथा एनएसएस के इकाई स्तरीय आंकड़ों (50वें, 55वें तथा 68वें दौर के रोजगार व बेरोजगारी सर्वेक्षण आंकड़ों) का उपयोग करके अंतर गणना वर्षों के लिए बाल लिंग अनुपात (0.6 वर्ष) तैयार करने की संभाव्यता की जांच करने के लिए तथा गणना आंकड़ों की संभावना का उपयोग करके आकलित अनुपातों के बीच के अंतर के कारणों की जांच करने तथा एनएसएस सर्वेक्षणों से वास्तविक अनुपातों पर एक अध्ययन किया गया।

(ख) एनएसएस आंकड़ों में, गणना आंकड़ों के समनुरूपता में सभी आयु-वर्ग के लिंग अनुपात में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, किन्तुं बाल लिंग अनुपात संबंधी एनएसएस आंकड़ा गणना प्रवृत्ति की पुष्टि नहीं करता है।

(ग) सभी आयु वर्ग के प्रक्षेपित लिंग अनुपात का तदनुरूपी एनएसएस सर्वेक्षणों के अनुमानों से तुलना में पाया गया कि सभी आयु-वर्ग के लिंग अनुपात में, जनगणना आंकड़ों का प्रक्षेपित लिंग अनुपात में ग्रामीण, शहरी तथा कुल में अभिवृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है परंतु एनएसएस के आंकड़ों में केवल शहरी क्षेत्रों में अभिवृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। यह भी देखा गया कि 1994, 2000 तथा 2012 वर्षों के लिए एनएसएस के आंकड़ों में राष्ट्रीय स्तर पर सभी आयु वर्गों का लिंग अनुपात प्रक्षेपित जनगणना आंकड़ों के अनुमान अधिकतर 1 प्रतिशत के अंदर थे। अत: निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंतर गणना वर्षों के लिए एनएसएस रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण आंकड़ों से राष्ट्रीय स्तर के सभी आयु वर्ग लिंग अनुपात तैयार करना संभव है।

(घ) प्रक्षेपित बाल लिंग अनुपात के एनएसएस सर्वेक्षणों के तदनुरूपी अनुपातों की तुलना के दौरान पाया गया कि गणना आंकड़ों के बाल लिंग अनुपात में ग्रामीण, शहरी तथा कुछ में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई जबकि एनएस आंकड़ों से प्राप्त अनुपात में संपूर्ण रूप से बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कोई निश्चित प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी।

(ङ) राज्य स्तरीय लिंग अनुपात के मामले में जनगणना तथा एनएसएस आंकड़ों से प्राप्त अनुपातों में काफी अंतर देखा गया। एनएसएस आंकड़ों का उपयोग करके सभी आयु वर्ग के लिंग अनुपात जनगणना आंकड़ों का उपयोग करके प्राप्त अनुपात अधिकतर ज्यादा थे और भिन्नता के प्रतिशत द्वारा मापे गए भिन्नता का स्तर बहुत से मामलों में 2 प्रतिशत से लेकर 4 प्रतिशत के बीच था। एनएसएस आंकड़ों का उपभोग करके निकाले गए बाल लिंग अनुपात जनगणना से प्राप्त अनुमानों की तुलना में कुछ मामलों में अधिक है तथा कुछ मामलों में कम है और अधिकतर मामलों में भिन्नता का प्रतिशत 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है।

(च) अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि एनएसएस सर्वेक्षण आंकड़ों से बाल लिंग अनुमान तैयार करना व्यवहार्य नहीं है। चूंकि बाल लिंग अनुपात एक बहुत ही

परिवर्तनशील सामाजिक संकेतक है और इसमें राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर बहुत बड़ी मात्रा में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए देश में बाल लिंग अनुपात की स्थिति को कैप्चर करने में एक बहुत प्रतिदर्श आकार की आवश्यकता होगी। एनएसएस के रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षणों की प्रतिदर्शित जनसंख्या में 0-6 आयु वर्ग में व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम थी तथा इसलिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बाल लिंग अनुपात को कैप्चर करने के लिए आंकड़ा अपर्याप्त था।

(छ) चूंकि एनएसएस का जनसंख्या अनुपात अंदाजे से कम अनुमान की लागत की समस्या से जूझता है और लिंगवार कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं दर्शता है तथा अल्प आयु वर्ग में यह अत्यधिक गंभीर है, इसलिए अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया कि एनएसएस के जनसंख्या संबंधी अनुपात अखिल भारत तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाल (0-6 वर्ष) लिंग अनुपात के अनुमान लगाने के लिए उचित नहीं है।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

2.34 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की कि सीएसओ (एमएसडी) द्वारा उसके अध्ययन के दौरान देखी गई समस्याओं जिन्हें भागीदारों द्वारा चिन्हित किया गया था, को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 79वीं बैठक में चर्चा करके दूर किया जाना चाहिए और उचित विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए :

(1) यह देखा गया कि अध्ययन में केवल रोजगार- बेरोजगारी के आंकड़ों का उपयोग किया गया, जिसके बारे में पता चला है कि वह पर्याप्त प्रतिदर्श आकार नहीं था चूंकि एनएसएस बहु-विषयक सर्वेक्षणों को कराता है इसलिए यह विभिन्न विषयों के लिए परिवारों के विभिन्न सैटों को शामिल करता है। उदाहरणतया रोजगार-बेरोजगारी विषय के साथ, उपभोक्ता व्यय के विषय पर भी सर्वेक्षण कराया गया। इन आंकडों के लिंग अनुपात के अनुमानों से संदर्भित ब्योरे भी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए लिंग अनुपात आदि के अनुमान लगाने का प्रतिदर्श आकार काफी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा, यदि राज्यों के अर्थ निदेशालयों द्वारा एकत्रित राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों पर भी विचार किया जाता है, तो इससे प्रतिदर्श आकार में आगे और वृद्धि होगी। (एनएससी द्वारा सिफारिश की गई केंद्र व राज्य प्रतिदर्श के अनुमानों की पूलिंग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाए)।

(2) आयु गणना आंकड़ा के संबंध में (अर्थात आयु आंकड़ा सर्वेक्षण) सामान्यतया उम्मीद की जाती है कि कई कारकों की वजह से रिपोर्टिंग आयु में डिजिट अधिमान हो सकता है। परिणामस्वरूप, कुछ आयु अंकों, जिनके अंत में "0" अथवा "5" आता हो, के संबंध में ढेर लग सकता है। इस पहलू का अध्ययन किया जाना चाहिए और यदि यह नोटिस में आता है, तो तुलना करने से पहले इसके प्रभावों को समाप्त/कम कर दिया जाना चाहिए।

2.35 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ (एसएसडी) को पत्र संख्या 17(1)(79)/एनएससी/2015-16 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

विभिन्न सांख्यिकीय कार्यकलापों तथा पहलों में प्रगति/स्थिति

2.36 एनएससी ने सीएसओ के विभिन्न सांख्यिकीय कार्यकलापों तथा पहलों में प्रगति/स्थिति पर त्रैमासिक समीक्षाएं करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है । आलोच्याधीन अवधि के दौरान, एनएससी की 76वीं, 79वीं तथा 82वीं बैठकों में तीन समीक्षाएं की गईं थी ।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

2.37 समीक्षा के दौरान एनएससी द्वारा की गई सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) सीएसओ, विशेष रूप से एनएडी जिसे आईएसओ प्रमाण भी प्राप्त है, द्वारा इंडक्शन सामग्री से संबंधित नियमों का अनुरक्षण तथा आवधिक रूप से इंडक्शन सामग्री रखने वाली पुस्तिका को अद्यतन करेगी, जिसे वर्तमान में कार्य कर रहे अधिकारियों/स्टाफ तथा नए आने वालों द्वारा संदर्भ सामग्री के तौर पर उपयोग किया जा सकेगा।

(2) सीएसओ विनिर्माण तथा सेवाओं के संबंध में एमसीए को अपने आंकड़ा आधार पर विश्लेषण और अपनी रिपोर्ट निकालने के लिए तकनीकी सहायता दे सकता है।

(3) एसयूटी तैयार करते समय किए गए प्रमुख समायोजनों के कारणों को पब्लिक डोमेन पर रखने से पहले एसीएनएएस के समक्ष रखा जाए।

(4) एनएडी प्रयोगमूलक आधार पर राष्ट्रीय तुलनशीट का संकलन करके उसमें उपयोग की गई कार्यपद्धति सहित एक तकनीकी दस्तावेज प्रकाशित कर सकता है।

(5) मजदूरी सूचकांक विकसित करके उसका उपयोग सेवा क्षेत्र के अपस्फीति कारक के तौर पर करने पर विचार किया जा सकता है।

(6) हरित राष्ट्रीय लेखा पर विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में हुई प्रगति को समय-समय पर पब्लिक डोमेन पर रखा जाए।

(7) एसएमओसी को एनएससी द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार संशोधन किया जाए और उसे विश्वविद्यालयों तथा जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों की सहभागिता से आयोजित किया जाए।

(8) समय-समय पर आयोजित सेमिनारों/कार्यशाला की रिपोर्टें एनएससी के सदस्यों में परिपत्रित की जाए।

(9) सीएसओ (एनएडी) द्वारा एसडीपी संशोधनों की विशेषताओं को राज्यों द्वारा पब्लिक डोमेन पर रखने के उपरांत उस पर एक दस्तावेज लाया जाए।

2.38 उपर्युक्त सिफारिशें सीएसओ में संबंधित प्रभागों को पत्र सं.4(76)/2014-एनएससी दिनांक 27 जुलाई, 2015 तथा पत्र संख्या 17(1)(82)/एनएससी/2015-16 दिनांक 23 फरवरी, 2016 के माध्यम से भेजी गई थी।

(कार्रवाई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

अध्याय-3

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा

3.1 अध्याय-1 के पैरा 1.8 में जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के तत्कालीन शासी परिषद के भी कार्य करता है। इनके कार्यों में एनएसएस के प्रत्येक दौर में होने वाले विषयों पर निर्णय लेने, कार्यप्रणाली तैयार करने तथा आंकड़ा संसाधन को देखना तथा एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टें/ इकाई स्तरीय आंकड़े जारी करना शामिल है। इन कार्यों को पूरा करने में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने समय-समय पर कार्यकारी समूहों का गठन किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएसएसओ से संबंधित कई कार्यकलापों की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों को महानिदेशक, एनएसएसओ तथा एनएसएसओ के संबंधित प्रभागों को अग्रेषित किया गया है।

3.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएसएसओ ने एनएसएस के 68वें, 70वें तथा 71वें दौर के आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित 13 रिपोर्टें जारी की हैं।

एनएसएस 68वां दौर "परिवार उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार एवं बेरोजगारी"

(1) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 564-भारत के नगरों तथा शहरों में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति
(2) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 565-जन वितरण प्रणाली तथा परिवार उपभोग के अन्य स्रोत
(3) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 566- 2011-12 के दौरान भारत में शिक्षा की स्थिति तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण
(4) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 567- "ईंधन तथा प्रकाश के लिए भारतीय परिवार ऊर्जा स्रोत
(5) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 568- भारत में प्रमुख धार्मिक समूहों में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति

"कृषिगत परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग, ऋण और निवेश तथा स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण" संबंधी एनएसएस का 70वां दौर

(6) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 569- भारत में कृषिगत परिवारों की कुछ विशेषताएं
(7) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 570- भारत में परिवार संपत्ति तथा देयताएं
(8) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 571- भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालन होल्डिंग
(9) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 572- भारत में पशुधन स्वामित्व

(10) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 573- भारत में खेती के कुछ पहलू

एनएसएस 71वां दौर "सामाजिक उपयोग : स्वास्थ्य एवं शिक्षा"

(11) एनएसएस केआई (71/25.0)- भारत में सामाजिक उपयोग के मुख्य संकेतक : स्वास्थ्य
(12) एनएसएस केआई (71/25.2) - भारत में सामाजिक उपयोग के मुख्य संकेतक : शिक्षा
(13) एनएसएस रिपोर्ट संख्या 575 - भारत में शिक्षा

3.3 एनएसएसओ ने जून, 2015 में "सामाजिक उपभोग : शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर एनएसएस 71वें दौर के इकाई स्तरीय आंकड़े भी जारी किए हैं।

प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में सांख्यिकीय प्रकटीकरण नियंत्रण

3.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएस की सर्वेक्षण रिपोर्टों और इकाई स्तरीय आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में जारी करता आ रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्टों में विश्लेषण और तालिका में दी हुई होती है। इकाई स्तरीय आंकड़े, पहचान संबंधी ब्योरों को नियंत्रित करने के बाद जारी किए जाता है। एनएसएसओ के अलावा, ऐसी कई सरकारी एजेंसियां हैं जो समय-समय पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करती हैं। एनएसएसओ सबसे बड़ा सर्वेक्षण संगठन और सांख्यिकी पर नोडल मंत्रालय में अवस्थित होने के नाते, एनएसएसओ द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों को यदि उचित प्रकार से प्रलेखित किया जाए, तो अन्य एजेंसियों को उचित मार्गदर्शन देगा। यह नोट किया गया कि एनएसएसओ ने सांख्यिकीय प्रकटीकरण नियंत्रण के मुद्दे पर अब तक कोई मानक/पद्धति अधिसूचित नहीं की है, भले ही उन्होंने कुछ ऐसी प्रथाओं का अनुपालन किया है जो कि उचित रूप से प्रलेखित नहीं थी।

3.5 जारी होने वाली एनएसएस की कुछ मसौदा सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच करने पर पता चला कि रिपोर्टों में अनुमान उपलब्ध कराते समय छोटे प्रतिदर्शों के प्रतिनिधित्व न करने वालों को उजागर करने से बनाया जाना चाहिए। ऐसे सभी अनुमान जो अपर्याप्त प्रतिदर्श आकार अथवा अन्य किन्हीं कारणों से सांख्यिकीय रूप से अविश्वसनीय माने जाते हैं, उन्हें पिछले आंकड़ों के साथ सामंजस्यता बिठाने और विरोधाभास से बचने के लिए हटाया जाने का विकल्प होना चाहिए।

3.6 मामले पर एनएससी की 74वीं, 75वीं और 77वीं बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। उपमहानिदेशक, एनएससी सचिवालय तथा उपमहानिदेशक, कम्प्यूटर केंद्र द्वारा प्रस्तुत लेखों पर एनएससी द्वारा विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न देशों में, प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्टें तथा सूक्ष्म-स्तरीय आंकड़ा, उसकी गोपनीयता और आंकड़ों की सुरक्षा पर समझौता किए बिना, प्रसारित

करने में, अपनाई जा रही आम प्रथा, तत्संबंधी सापेक्ष मानक त्रुटियों के साथ आंकड़ा प्रसारित करने के सबंध में अपनाई जा रही प्रथा पर भी बैठक में चर्चा की गई।

3.7 "एनएसएसओ के रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण तथा उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के संबंध में प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में सांख्यिकीय प्रकटीकरण नियंत्रण" पर एनएसएसओ ने एनएससी की 77वीं बैठक में उसके विचारार्थ एक नोट भेजा। एनएसएसओ के अधिकारियों ने इस बैठक में एनएससी के समक्ष नोट पर प्रस्तुतीकरण दिया।

3.8 एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत नोट और एनएससी की 77वीं बैठक में किए गए प्रस्तुतीकरण में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने निम्नलिखित बिंदुओं को नोट किया :

(1) सांख्यिकीय प्रकटीकरण नियंत्रण (एसडीसी) मुख्य रूप से दो मुद्दों का निराकरण करता है नामत: व्यक्तिगत इकाइयों की पहचान गोपनीय रखना और विश्वसनीय परिणाम जारी करना। नोट और प्रस्तुतीकरण में पहले मुद्दे का समाधान नहीं किया गया।

(2) वर्तमान में, परिणाम जारी करने अथवा परिणामों की विश्वसनीय के मानदंडों पर आधारित परिणामों को नियंत्रित करने के संबंध में कोई वस्तुपरक निर्णय लेने के लिए कोई स्थापित मानक मौजूद नहीं है। विश्वसनीय परिणाम जारी करने तथा उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसे परिणाम उपलब्ध हों जो कि विश्वसनीय भले न हो परंतु उपयोगकर्ताओं के लिए फिर भी उपयोगी हों, विशेष रूप से जब कोई अन्य अनुमान उपलब्ध न हों, के बीच तालमेल बिठाना आवश्यक है।

(3) मानक तैयार करने हेतु, नोट तथा प्रस्तुतीकरण में विश्वसनीय के दो पहलुओं पर विचार किया गया है, नामत:, प्रतिदर्श टिप्पणियों (प्रतिदर्श गणना) की संख्या, जिनके आधार पर अनुमान और अनुमानों के आरएसई प्राप्त होते हैं।

(4) एनएसएस सांख्यिकी योजना की तालिका में 51,408 सेल होंगे जिनमें से लगभग 13,000 सेलों में गैर-शून्य मूल्य अंकित होगा। गैर-शून्य सेलों पर निर्णय उनके आरएसई के आधार पर लेना होता है। सेल-वार आरएसई उपलब्ध कराना गणनामूलक रूप से खर्चीला होता है और सेल-वार प्रतिदर्श संख्या गणनामूलक रूप से कम खर्चीले होते हैं।

(5) रोजगार तथा बेरोजगारी से सबंधित अनुमानों के बारे में (क) किसी सेल में प्रतिदर्श टिप्पणी की संख्या 40 से अधिक हो तो अनुमान (सेल स्तर पर) सामान्यतया विश्वसनीय (आरएसई 30 प्रतिशत से कम अथवा बराबर) होते हैं और (ख) कुछ मामलों में, तदनुरूपी सेलों की प्रतिदर्श टिप्पिणयां 40 से कम होने पर आरएसई 30 प्रतिशत से कम अथवा उसके बराबर थी।

(6) उपभोक्ता व्यय से संबंधित अनुमानों के संबंध में (क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए, आरएसई के अनुसार एमपीसीई के प्रत्येक 12 वर्गों के अनुमान विश्वसनीय हैं (ख) जब सेल में प्रतिदर्श टिप्पणियों की संख्या 40 से अधिक हो तो "खाद्य

समूह", "ऊर्जा", "कपड़ा तथा फुटवीयर" के अनुमान सामान्यतया विश्वसनीय हैं और (ग) जब किसी सेल में प्रतिदर्श टिप्पणियां 40 से अधिक हों तो "शिक्षा और चिकित्सा", "विविध सामान और सेवाएं", टिकाऊ सामान के अनुमान विश्वसनीय नहीं है।

3.9 उपर्युक्त इनपुट के आधार पर, एनएससी ने महसूस किया कि सभी प्रकार के प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के लिए सामान्य मानक (न्यूनतम) तय किए जाने चाहिए। ऐसे मानक सर्वेक्षण विशिष्ट नहीं हो सकते और किसी भी सर्वेक्षण की समाप्ति के बाद उन्हें तय करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। प्रत्येक सेल के लिए आरएसई की गणना करने के मुद्दे पर महसूस किया गया कि भले ही एनएसएसओ जैसे संगठनों द्वारा गणना के प्रयास किए जा रहे हों, उन्हें सेल स्तर पर प्रकाशित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि इससे तालिकाएं अपठनीय तथा अबोध्य होगी। अत: ऐसा कोई प्रयास उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से आंकड़ा प्रसारण के प्रमुख उद्देश्य के प्रति निराशाजनक होगा। इसके मद्देनजर, महसूस किया गया कि प्रतिदर्श आकार तथा आरएसई की गणना जाने के संबंध में आरएसई की संवेदनशीलता पर (डिजाइन आधारित गणना सहित) एसडीआरडी आगे अध्ययन कर सकता है।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

3.10 उपर्युक्त के मद्देनजर, एनएससी द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) प्रतिदर्श सर्वेक्षकों के लिए आसानी से कार्यान्वित हो सकने वाले निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य मानक तय किए जा सकते हैं :

(क) प्रत्येक तालिका में सीमांत कुल (पंक्तियों और कॉलम, जो भी लागू हो) के सबंध में आरएसई तथा प्रतिदर्श टिप्पणियों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

(ख) 20 से कम प्रतिदर्श टिप्पणियों पर आधारित अनुमानों वाले सेलों को अलग से न दिखाया जाए। यदि सीमांत कुल के अनुमान 20 से कम संख्या वाली प्रतिदर्श टिप्पणियों पर आधारित हैं तो ऐसी पंक्तियों और कालमों को, जैसा भी मामला हो अलग से नहीं दिखाया जाना चाहिए।

(2) जबकि उपर्युक्त न्यूनतम मानक स्पष्ट रूप से कार्यान्वित किए जा सकते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय माइक्रो डाटा तथा विभिन्न प्रकार की तालिकाओं के संबंध में एसडीसी पर विस्तृत मानक तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित कर सकता है।

3.11 उपर्युक्त सिफारिशें पत्र सं. 17(1)(77)/एनएससी/2015-16 दिनांक 14 अगस्त, 2015 के माध्यम से एनएसएसओ को अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

एनएसएस के लिए दस वर्षीय चक्र

3.12 भविष्य में एनएसएस दौरों के लिए अगले दस वर्षों हेतु, विषयों पर निर्णय लेने के मुद्दे पर एनएससी की 74वीं और 75वीं बैठक में विचार किया गया था। एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग और एसडीआरडी के अधिकारियों द्वारा एनएससी की 74वीं बैठक में प्रस्तुतियां दी गई थी।

3.13 क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्वारा दी गई प्रस्तुति में, अन्य बातों के साथ-साथ जेएसओ तथा एसएसओ की संस्वीकृत क्षमता तथा रिक्तियां, क्षेत्र कार्य/पर्यवेक्षण के मानदंड तथा दोनों स्तरों पर उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या और उनके अनुभाग के ब्योरे दिए गए हैं। एसडीआरडी ने अपनी प्रस्तुति में अन्य बातों के साथ-साथ नीति आयोग सहित उपयोगकर्ता सरकारी एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण करने की मांग के बारे में बताया।

3.14 एनएससी की 74वीं बैठक :

(i) एनएसएसओ से अनुरोध किया गया कि वे आंकड़ों से संबंधित मुद्दों पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत किसी भी रिपोर्ट, यदि दी गई हो, तो उस पर की गई कार्रवाई की नवीनतम स्थिति की जानकारी लेने के लिए कहा गया था और

(ii) क्षेत्र संकार्य प्रभाग से अनुरोध किया गया कि आऊटसोर्सिंग के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र कार्य करवाने के लिए टीम लीडर पदों तथा पर्यवेक्षकीय पदों पर उपलब्ध जनशक्ति के माह-वार ब्योरे तैयार करे।

3.15 एनएससी की 75वीं बैठक में, कहा गया कि जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट पर मंत्रालय में विचार-विमर्श चल रहा है, समिति ने कोई भी प्राथमिक सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया है, किन्तु उनके कुछ निर्णय और सिफरिशों के प्रयोजनार्थ, सैकेंड्री स्रोतों से उपलब्ध सूचना/आंकड़ों पर निर्भर थे और जनजाति कार्य मंत्रालय से प्राप्त संसूचना में जनजातिवार, कुछ मुद्दों को शामिल करने वाले सर्वेक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया। एनएससी ने नोट किया कि एनएससी की 52वीं बैठक (जुलाई, 2012 में आयोजित) में भी, उनके इसी प्रकार के एक अनुरोध पर विचार किया गया था। इस बैठक में, एनएससी अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि जनजाति कार्य मंत्रालय, जनगणनाओं से उपलब्ध आंकड़ों, एनएसएसओ के सर्वेक्षणों, भारत के महापंजीयक का कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य प्रशासनिक स्रोतों पर भी विचार कर सकते हैं और जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए नए सिरे से अपनी आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। चूंकि इन पहलुओं पर जनजाति कार्य मंत्रालय से कोई जबाब

नहीं मिला है, इसलिए एनएससी ने कहा कि मंत्रालय के वर्तमान प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता।

3.16 एनएससी की 75वीं बैठक में क्षेत्र संकार्य प्रभाग ने अपनी प्रस्तुति में अन्य बातों के साथ-साथ जेएसओ तथा एनएसओ की समेकित माह-वार जनशक्ति विवरणी उपलब्ध कराई जिसमें वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों की मदों के लिए विभिन्न स्तरों पर उठने वाली आवश्यकताओं के बारे में भी कहा गया।

3.17 क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने महसूस किया कि भविष्य में किए जाने वाले/विचार किए जाने वाले कार्यों के लिए और पारदर्शिता की अपेक्षा होगी। यह नोट किया गया कि कृषि मंत्रालय के चल रहे विचार-विमर्श/पत्राचार के परिप्रेक्ष्य में आईसीएस स्कीम में बदलाव किया जा सकता है। अतीत में जिस प्रकार से यूएफएस किया जा रहा था, को जारी नहीं रखा जा सकता और पूर्व में एनएससी द्वारा की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इसका पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है। एनएसएस के मामले में एनएडी की 10 वर्षों की आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पीएलएफएस, एएसएसएस तथा टीयूएस जैसे कुछ नए कार्यकलापों को आरंभ करने पर कुछ पारदर्शिता भी होनी चाहिए। यदि पीएलएफएस आरंभ किया जाना है तो इसका अभिप्राय होगा कि उनकी जगह पर पंचवर्षीय सीईएस - ईयू सर्वेक्षणों तथा अन्य सर्वेक्षणों का पुनर्विन्यास किया जा सकता है।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

3.18 उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए एनएससी ने निम्नलिखित सिफारिशें की :

(1) एनएसएस का दस वर्ष चक्र का मुद्दा अभी रोक दिया गया है।

(2) संबंधित विभागों की सलाह से एनएसएसओ दस वर्ष के चक्र के मुद्दे पर संपूर्ण रूप से विचार करे और अपने निष्कर्ष/सुझाव एनएससी के समक्ष रखे।

(3) यूएफएस फ्रेम को अद्यतन बनाने और अंकीकरण के लिए वर्ष 2016-17 में विशेष प्रयास किए जाएं।

(4) स्थायी समिति में, यूएफएस मामले पर प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। समिति में एनआईसी, अंतरिक्ष विभाग तथा भारत के महापंजीयक का कार्यालय से सदस्यों को शामिल किया जाए।

(5) एनएसएसओ यूएफएस पूरा करने की संशोधित अनुसूची एनएससी को प्रस्तुत करे।

3.19 उपर्युक्त सिफारिशें एनएसएसस की पत्र संख्या 4(75)/2014-एनएससी दिनांक 3 जून, 2015 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

एनएसएस के 72वें दौर पर कोर समूह की अंतरिम रिपोर्ट

3.20 एनएसएस के 72वें दौर के कार्यकारी समूह का गठन एनएससी द्वारा सितम्बर, 2013 में किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ :

(क) एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों में लघु अनुसूचियों के उपयोग के लिए कार्यपद्धति तैयार करना; और

(ख) आर्थिक, सामाजिक तथा जनांकिकी आंकड़ों के एकीकृत विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एनएसएस के भविष्य के दौरों में उपयोग हेतु बृहत प्रतिदर्श तैयार करने की संभाव्यता की जांच करना, जिसमें प्रत्येक बृहत प्रतिदर्श की काल अवधि, आंकड़ा पारस्परिक संबद्धता तथा सर्वेक्षणों के आंकड़ों की पारस्परिक संबद्धता के लिए दो या अधिक सर्वेक्षणों में प्रतिव्याप्ति प्रतिदर्शों का चयन करने की संभाव्यता का अध्ययन करना जिससे कि सर्वेक्षणों से आंकड़ों का एकीकरण किया जा सके।

3.21 कार्यकारी समूह से विशेषज्ञों के कोर समूह को ऊपर उल्लिखित कार्य की मदें सौंपी गई हैं। कोर समूह द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एनएसएसओ के अधिकारियों द्वारा एनएससी की 77वीं बैठक में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। अंतरिम रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु तथा प्रस्तुतीकरण निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है।

लघु अनुसूची उपयोग करने की कार्यप्रणाली

3.22 एनएसएस के 72वें दौर में लघु अनुसूचियों का उपयोग करके नामत: एनएसएस के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर अनुसूची 1.61 तथा अनुसूची 1.62 के साथ संपूर्ण विस्तृत अनुसूची 1.60 जो एनएसएस के 68वें दौर में उपयोग की गई अनुसूची 1.0 (टाइप-II) के समान ही है, का उपयोग करके वर्षभर सर्वेक्षण कराया गया। अनुसूची 1.61 में खाद्य वस्तुएं (अनाज सहित) के ब्योरे विस्तार से तथा गैर-खाद्य वस्तुएं (परिधान के अलावा) केवल उप-समूह कुल के रूप में एकत्र की जाती हैं। अनुसूची 1.62 में खाद्य वस्तुओं (अनाज के अलावा) का संग्रहण केवल उप-समूह के कुल के रूप में किया जाता है जबकि गैर-खाद्य वस्तुओं (परिधान सहित) के ब्योरे विस्तारपूर्वक एकत्रित किए जाते हैं। दोनों अनुसूचियों में नामत: अनुसूची 1.61 तथा अनुसूची 1.62 अनाज तथा परिधान ब्लॉकों को विस्तार से कवर किया जाता है। इन ब्लॉकों का दो लघु अनुसूचियों के बीच "स्टीचिंग ब्लॉक" के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कोर समूह की अंतिम सिफारिश, एनएसएस के 72वें दौर के दौरान सीधे आंकड़ा एकत्रित करने की प्रस्तावित कार्यपद्धति का परीक्षण करने के बाद की जाएगी।

3.23 कोर समूह द्वारा एनएसएस 66वें के उपभोक्ता व्यय (अनुसूची 1.0) आंकड़ों (बिहार और पश्चिम बंगाल) का उपयोग करके राज्य स्तर पर आंकड़ा आकार की पर्याप्तता की जांच की गई

और निष्कर्ष निकाला कि राज्य के लिए औसत एमपीसीई के विश्वसनीय अनुमानन हेतु प्रतिदर्शों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है।

3.24 कोर समूह द्वारा, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर, परिवार उपभोग व्यय (एनएसएस 68वें दौर में टाइप-II) पर अनुसूची 1.0 को हिस्सों में बांटने की विभिन्न कार्यपद्धति पर एक अलग अध्ययन किया गया।

(क) मदों का समूह अथवा व्यापक मद समूह जैसे कि अनाज, दालें तथा दलहन उत्पाद आदि जिनका उल्लेख दोनों अनुसूचियों में विस्तार से होना चाहिए। मदों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनकी उपभोग गतिविधि लगभग सभी अथवा अधिकतर अन्य मदों या व्यापक मद समूह के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ हो। इन मदों को "स्टिचिंग वेरिएबल्स" कहा गया है।

(ख) विभिन्न प्रमुख उपयोगकर्ताओं की आंकड़ा आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, शेष व्यापक मद समूहों को कुछ नियमों का अनुपालन करते हुए दो समूहों में विभाजित किया जाएगा जिससे कि फील्ड में दोनों अनुसूचियों के प्रचार का प्रभावी समय लगभग एक ही हो।

3.25 एनएसएस के 68वें दौर के आधार पर आकलित (बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए) 33 व्यापक मद समूह के लिए सह-सबद्ध मैट्रिक्स पर आधारित (अनुसूची 1.0 के व्यापक मद समूह के अनुसार) और चल रहे 72वें दौर की अनुसूची 1.60 में इन प्रत्येक 33 व्यापक मद समूहों के प्रचार में लगने वाले वास्तविक समय पर आधारित सूचना (जो कि एनएसएस 68वें दौर में अनुसूची 1.0 टाइप-II के समान है) हेतु, उपर्युक्त दोनों बिंदुओं पर संतुष्टि के लिए अनुसूची को विभाजित करने हेतु एक एल्गोरिथम विकसित की गई है। इस काम चलाऊ एल्गोरिथम (अखिल भारत X सेक्टर स्तर और राज्य X सेक्टर स्तर पर) का उपयोग मद समूह उप-कुल में सुधार लाना था, जिससे कि परिवार की सही एमपीसीई का अनुमान लगाया जा सके।

3.26 उपर्युक्त पहलुओं पर कोर समूह द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले अन्य बातों के साथ-साथ आगे और अध्ययन किया जाएग।

भविष्य के एनएसएस दौरों में उपयोग के लिए मास्टर प्रतिदर्श तैयार करना

3.27 कोर समूह ने संतुष्टि पर अपना मत देने से पहले कोर मदों तथा मास्टर प्रतिदर्श के विस्तार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दस्तावेज पर विचार किया :

- एनएसएसओ में उपलब्ध फ्रेम
- प्राथमिक जनगणना सार 2011
- आर्थिक गणना आंकड़ा
- शहरी फ्रेम सर्वेक्षण

- चुनाव आयुक्त की मतदाता सूची
- समाजार्थिक तथा जाति गणना आंकड़ा
- एनएसएसओ द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए नियमित तथा तदर्थ समाजार्थिक गणना सर्वेक्षण (प्रतिदर्शों सहित)।

3.28 कोर समूह द्वारा ईसी को एम एस फ्रेम यूनिट के तौर पर उपयोग करने की संभाव्यता की जांच की और पाया कि ईबी के हाथों से बने मानचित्रों और छठी आर्थिक गणना के लिए उपयोग की गई गणना 2011 के संक्षिप्त आवास लिस्टिंग अनुसूचियां और विस्तृत ईबी स्तर के आंकड़े और ईबी के डिजिटाइज्ड मानचित्र पब्लिक डोमेन में नहीं है। कोर समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि :

(क) चूंकि ईबी वार ब्योरे के संग्रहण में कुछ समय लग सकता है, इसलिए वर्ष 2017 से 2011 गणना ईबी का उपयोग एमएस फ्रेम यूनिट के तौर पर किया जा सकता है।

(ख) ईबी वार ब्योरे प्राप्त करने के उपरांत ईबी पर आधारित एमएस की रचना का कार्य किया जा सकता है।

(ग) एमएस का आकार एमएस की कालावधि तथा कोर मदों के सामान्य सैटों सहित, विभिन्न दौरों में कवर होने वाले विषयों पर भी निर्भर करेगा।

(घ) एमएस फ्रेम तैयार करने की लागत ईबी दायरों की पहचान करने के लिए आवश्यक जनशक्ति पर निर्भर होगा।

(ङ) झुग्गी बस्तियों और उद्यम सर्वेक्षणों के विशेष संदर्भ में एमएस अभिकल्पण करते वक्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

(च) नए सिरे से परिवार चयन के साथ एनएसएस के 72वें दौर के प्रतिदर्श एफएसयू का उपयोग 2017 तक भविष्य के एनएसएस दौरों में उपयोग के लिए एमएस के एफएसयू के तौर पर किया जा सकता है; और

(छ) यूएफएस ब्लॉक अद्यतन करने के वर्तमान चरण (2012-17) को समाप्त किया जा सकता है।

3.29 एनएसएसओ द्वारा एमएस के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां तथा वैकल्पिक सुझाव दिए जा सकते हैं। एनएससी ने कोर समूह की अंतरिम रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों तथा रिपोर्ट पर एनएसएसओ की टिप्पणियां तथा सुझावों को नोट किया।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

3.30 एनएससी ने कहा कि कोर समूह द्वारा अंतिम रिपोर्ट देने के उपरांत मुद्दे पर और विस्तार से विचार किया जा सकता है। तथापि, एनएससी की 77वीं बैठक में विस्तार से हुए विचार-विमर्श के बाद एनएससी द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) लघु अनुसूचियों के अध्ययन में, विशेष रूप से आइटरेटिव एल्गोरिथम, चरों को लागू करने वाले मानक और/या आइटरेशन के कन्वेरजेस के लिए कोलमोगोव-स्मिर्नोव टेस्ट पर भी विचार किया जाए। अध्ययन अधिक विभाजन (विशेष रूप से गैर खाद्य मदों के संबंध में) पर विचार करे और उच्च विभिन्नता वाली मदों को स्टिचिंग वेरियेबल्स के तौर पर शामिल करे। छोटे राज्यों के लिए स्टिचिंग वेरिएबल के विकल्प में संशोधन करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(2) मास्टर प्रतिदर्श का एक उद्देश्य जनसंख्या तथा उसकी विशेषताओं पर अंतर गणना अनुमान जनित करना है। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

(3) एनएसएसओ जनगणना आंकड़ों (प्राथमिक जनगणना सार में गांव/वार्ड स्तर पर उपलब्ध) तथा आर्थिक गणना आंकड़ों को ईबी स्तर प्राप्त करे। इन दोनों डाटा सैटों को एकीकृत करके एनएसएस के जनांकिकी तथा उद्यम सर्वेक्षणों के लिए मास्टर प्रतिदर्श तैयार करने हेतु उपयोग किया जाए।

(4) एनएसएसओ उपर्युक्त सुझावों और वैकल्पिक प्रतिदर्शों पर अपनी टिप्पणी तथा सुझाव कोर समूह के सामने रखे।

(5) उद्यम सर्वेक्षणों के लिए मास्टर प्रतिदर्श के मुद्दे पर कोर समूह द्वारा अभी तक समाधान किया जाता है और यदि आवश्यक हुआ, तो वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

3.31 उपर्युक्त सिफारिशें एनएसएसओ के पत्र संख्या 17(1)(77)/एनएससी/2015-16 दिनांक 14 अगस्त, 2015 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

एनएसएस के 72वें दौर के लिए सारणीयन योजना तथा अनुमान

3.32 एनएसएस के 72वें दौर के लिए कार्यकारी समूह द्वारा तैयार मसौदा सारणीयन योजना तथा अनुमानन प्रक्रिया (सर्वेक्षण अवधि जुलाई, 2014 से जून, 2015) एनएससी के समक्ष उसकी 78वीं बैठक में रखी गई थी।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

3.33 एनएससी द्वारा एनएसएस के 72वें दौर के लिए मसौदा सारणीयन योजना तथा अनुमानन प्रक्रिया निम्नलिखित बदलावों/टिप्पणी के साथ अनुमोदित की गई :

(1) पर्यटन विशेषताओं पर तालिकाएं, आंकड़ा संग्रहण में उपयोग की गई संदर्भ अवधि में जिस रीति का अनुसरण करके जनित की गई हैं उसमें 365 दिनों तथा 30 दिन की संदर्भ अवधि के लिए अलग-अलग जनित की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में 365 दिनों

के अनुमान प्राप्त करने के लिए 30 दिनों की संदर्भ अवधि में एकत्रित आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह दोनों ही मामलों में लागू है।

(2) यह बताया गया कि विशेष घरेलू यात्रा पर सूचना पर्यटन मंत्रालय की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार एकत्र की गई थी और यह कि आंकड़ों की गुणवत्ता की पुष्टि वैधीकरण के माध्यम से नहीं की जा सकती। अत: इस सूचना के माध्यम से जनित तालिकाएं और संकेतकों को कार्यकारी समूह के समक्ष उसकी सिफारिश के लिए रखा जा सकता है कि क्या उन्हें सर्वेक्षण की रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है ।

3.34 उपर्युक्त सिफारिशें एनएसएसओ के पत्र संख्या 17(1)(78)/एनएससी/2015-16 दिनांक 14 अगस्त, 2015 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

एनएसएस 73वें दौर के लिए सर्वेक्षण साधन

3.35 एनएसएस का 73वां दौर अनिगमित गैर-कृषिगत उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) पर सर्वेक्षण को समर्पित है, जो कि छठी आर्थिक गणना का एक अनुवर्ती सर्वेक्षण है। फील्ड प्रचालन 1 जुलाई, 2015 से शुरू किया गया।

3.36 एनएसएस के 73वें दौर का कवरेज एनएसएस के 67वें दौर में कुछ बदलावों के साथ उसी के समान है। 73वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा प्रशिक्षणों हेतु प्रशिक्षण आयोजित करने के उपरांत 73वें दौर के लिए विस्तृत प्रतिदर्श कार्यपद्धति, अवधारणा एवं परिभाषा, संबद्ध अनुदेशों तथा जांच अनुसूचियां के साथ सर्वेक्षण साधनों को अंतिम रूप दिया गया।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

3.37 एनएसएस के 73वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार किए गए सर्वेक्षण साधन एनएसएसओ के अधिकारियों द्वारा एनएससी की 78वीं बैठक में उसके समक्ष रखे गए थे। एनएससी ने कार्यकारी समूह द्वारा तैयार सर्वेक्षण साधनों को अनुमोदित कर दिया।

3.38 उपर्युक्त सिफारिशें एनएसएसओ के पत्र संख्या 17(1)(78)/एनएससी/2015-16 दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय)

एनएसएस के 74वें दौर में कवरेज विषय

3.39 एनएसएस के 74वें दौर में कवर होने हेतु एसडीआरडी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विकल्पों पर एनएससी द्वारा विचार किया गया। सीएसओ के अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया है। छठी आर्थिक गणन की सूची फ्रेम का उपयोग करके एक अनुवर्ती सर्वेक्षण की योजना फ्रेमवर्क अप्रचलित होने से पहले शीघ्रातिशीघ्र बनाई जाए।

3.40 एनएससी द्वारा उसकी 75वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएसएस का 74वों दौर सेवा क्षेत्र पर एक उद्यम संकेद्रित सर्वेक्षण होगा, जो कि सेवा क्षेत्र पर वार्षिक सर्वेक्षण की एक प्रस्तावना होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि 74वां दौर छठी आर्थिक गणना के सूची फ्रेम का उपयोग करते हुए एक ऐसा सर्वेक्षण होगा जिससे कि उसकी सटीकता की जांच हो सकेगी और उसे अद्यतन बनाया जा सकेगा तथा उसमें आवश्यक सुधार शामिल करके प्रचारित किया जाएगा, एएसएसएस के लिए सीएसओ द्वारा तैयार अद्यतन फ्रेम प्रतिदर्श निरूपण के अनुसार तैयार किया जाएगा।

3.41 एनएससी की 78वीं बैठक में एनएसएस के 74वें दौर के लिए कार्यकारी समूह के गठन के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सर्वेक्षण दौर के लिए कार्यपद्धति आदि तैयार करने के लिए डॉ. अरविंद सुब्रामणियन, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आदेश संख्या 8/65/2010-एनएससी दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 के तहत एक कार्यकारी समूह गठित किया गया। कार्यकारी समूह अपना कार्य कर रहा है।

(सूचनार्थ)

श्रम बल सांख्यिकी और सीएपीआई के कार्यान्वयन पर स्थायी समिति की अंतरिम रिपोर्ट

3.42 एनएसएसओ द्वारा निम्नलिखित दो रिपोर्टें एनएससी के विचारार्थ उसकी 80वीं बैठक में प्रस्तुत की गई :

(1) श्रम बल सांख्यिकी पर प्रतिदर्श निरूपण तैयार करने तथा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के लिए जांच अनुसूची तैयार करने हेतु स्थायी समिति की अंतरिम रिपोर्ट

(2) हैंड-हेल्ड उपकरणों का उपयोग करते हुए पीएलएफएस आंकड़ा एकत्र करने हेतु डब्ल्यूबी सीएपीआई समाधान के प्रायोगिक परीक्षण पर रिपोर्ट

(i) एससीएलएफएस की अंतरिम रिपोर्ट

3.43 पीएलएफएस हेतु प्रतिदर्श निरूपण के संबंध में पूर्व में अमिताभ कुंडु समिति (2009) नेअन्य बातों के साथ-साथ रोटेशनल प्रतिचयन स्कीम की सिफारिश की, जहां एक तिमाही के प्रतिदर्श एफएसयू के 25 प्रतिशत को अगली तिमाही में प्रतिस्थापित किया जाना है।

एससीएलएफएस ने नोट किया कि रोटेशनल पैनल सर्वेक्षण (कुंडु समिति कार्यप्रणाली) से प्राप्त श्रम बल संकेतकों के निकासी अनुमानों में तीन कमियां पाई गई, जो कि निम्नानुसार हैं :

(क) कुछ छोटे डोमेनों में निकासी पर आधारित कुछ पैरामीटरों में नकारात्मक अनुमान।

(ख) क्रमिक पैनलों में यूनिटों में आंशिक अनुकूलता की वजह से संदर्भित पैरामीटरों के बदलाव अनुमानों में अत्यधिक भिन्नता।

(ग) विभिन्न डोमेनों (जैसे कि पुरुष, महिला तथा कुल व्यक्ति आदि) के संबंध में विशेष तिमाही में, निकासी का उपयोग करते हुए अनुमानों को न जोड़ना।

3.44 रोटेशनल पैनल सर्वेक्षण की कमियों को ध्यान में रखते हुए, एक वैकल्पिक प्रतिदर्श प्रतिदर्श, पीएलएफएस में शामिल किए जाने हेतु एससीएलएफएस द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार सिफारिशें की गई :

(1) प्रथम स्तर इकाइयों के (एफएसयू) के निश्चित पैनल से परिवारों के एक निश्चित पैनल का सर्वेक्षण किया जाएगा और स्वतंत्र अनुमानों का उपयोग अलग से प्रत्येक तिमाही में किया जाएगा इससे नकारात्मक अनुमानों की संभाव्यता समाप्त होगी।

(2) प्रतिदर्श प्रतिचयन, चालू साप्ताहिक कार्यकलापों की स्थिति और सामान्य कार्यकलाप स्थिति पर आधारित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक अनुमानों पर आधारित श्रम बल संकेतकों के तिमाही अनुमानों को भी ध्यान में रखेंगे।

(3) बदलाव पैरामीटर के तिमाही अनुमान जनित करने के लिए, चालू साप्ताहिक स्थिति विवरणों को, किसी एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही जो कि किन्हीं दो तिमाहियों के बीच सही मिलान (ओवरलैपिंग) होगा को शहरी एफएसयू के निश्चित पैनल (4 समूहों में विभाजित नामत: पी$_1$, पी$_2$, पी$_3$, और पी$_4$ जिन्हें कि उप पैनल कहा जाएगा) से चुने हुए परिवारों के निश्चित सैट से कैप्चर किया जाएगा। चूंकि शहरी क्षेत्र की कवरेज में वार्षिक बदलाव बहुत ही छोटा होता है, इसलिए पैनल 3 वर्षों तक चलता रह सकता है (अर्थात कुल 12 तिमाहियां अथवा 36 महीने) 3 वर्षों के बाद शहरी एफएमयू के अन्य निश्चित पैनल का अद्यतन हुए सैम्पलिंग फ्रेम में से, नए सिरे से चयन किया जाएगा।

(4) श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमानों के उत्पादन में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं के साथ-साथ सामान्य कार्यकलाप विशेषताओं को भी कैप्चर किया जाए। इसे प्राप्त करने के लिए परिवारों की नई सूची तैयार की जाएगी जिससे प्रतिदर्श एफएसयू में परिवर्धन/प्रस्थान करने वाले परिवारों का पता चलेगा और सामान्य कार्यकलाप विवरण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उप-पैनल क्यू$_1$ में पी$_1$, क्यू$_2$ में पी$_2$, क्यू$_3$ तथा क्यू$_4$ में पी$_4$ से एकत्र किए जाएंगे।

(5) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्थिति में तिमाही अनुमान किसी एक वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए अलग से दी जाएंगी। चार तिमाही अनुमानों को चालू साप्ताहिक स्थिति में एकल वार्षिक अनुमानों में संयोजित करने, जैसाकि अब तक किया जा रहा है, का कोई औचित्य नहीं है। अत: चालू साप्ताहिक स्थिति में वार्षिक अनुमान नहीं दिए जाएंगे।

(6) शहरी क्षेत्रों में दूसरी से बारहवीं तिमाही के चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्थिति में बदले हुए पैरामीटरों के अनुमान दिए जाएंगे। इसी प्रकार 12वीं और 13वीं तिमाही के अनुमान भी कुछ फेरबदल के साथ दिए जा सकते हैं, क्योंकि सूचना में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी चूंकि एक अद्यतन फ्रेम से 13वीं तिमाही में एक उप-पैनल चयनित किया जाएगा। अत: यह इस कल्पना पर आधारित होगा कि जनसंख्या में परिवर्तन नगण्य है। यह समस्या रोटेशन पैनल में भी थी।

3.45 एनएससी ने एससीएलएफएस द्वारा संस्तुत उपर्युक्त प्रतिचयन अभिकल्प पर विचार किया और पाया कि यदि इसी अनुमानन प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो प्रतिगमन अनुमानों में नोट की गई कमियां स्थायी पैनल विरूपण में भी रहेंगी। इसके अलावा, स्थायी पैनल विरूपण में सर्वेक्षण के लिए परिवारों का वहीं सैट रखने का भी दोष है, क्योंकि इसमें परिवार के सदस्यों के बदलने से शहरी क्षेत्रों में समस्या आ सकती है। इस समस्या निशान प्रायोगिक सर्वेक्षण में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा, कई अन्य कारक जैसे कि शहरी फ्रेम का अद्यतनीकरण और नए शहरी फ्रेम अधिसूचना किए जाने की वजह से ग्रामीण फ्रेम में बदलाव, जो कि दो जनगणनाओं के बीच होता है और जब नवीनतम जनगणना आंकड़ा उपलब्ध होता है तो ग्रामीण और शहरी फ्रेम में संपूर्ण बदलाव (अगला जनगणना आंकड़ा 2023-24 में उपलब्ध होने की संभावना है) जिस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्थायी पैनल विरूपण से अनिखंरता आती है जिसे पैनल के बदलते पर तिमाही श्रृंखला माना जाता है। रोटेशनल पैनल अभिकल्पण की तुलना में इसमें अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती है जिससे अधिक साजो-सामान, प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याएं आती हैं। स्थिति को संपूर्ण रूप से देखने पर पता चलता है कि कुंडु समिति द्वारा सिफारिश की गई प्रतिदर्श प्रतिचयन में फील्ड के दृष्टिकोण से कम त्रुटियां हैं।

3.46 कुंडु समिति द्वारा सिफारिश की गई कार्यप्रणाली के आधार पर शहरी क्षेत्र में आयोजित प्रायोगिक सर्वेक्षण के परिणामों में एनएसएसओ के पंचवर्षीय रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों के विभिन्न उप-दौरों की तुलना में अनुपातिक बेरोजगारी में भिन्नता दिखाई दी।

3.47 यह देखने के लिए कि क्या पीएलएफएस के अनुसूचित अभिकल्पण का पीएलएफएस तथा ईयूएस के बीच पीयू के अनुमानों की भिन्नता पर कोई प्रभाव पड़ा है। पीएलएफएस (प्रायोगिक) की 7वीं और 8वीं तिमाही के लिए तीन प्रकार की अनुसूचियां प्रचारित की गई थी :

- अनुसूची 10.1 (पीएलएफएस पर एनएससी समिति द्वारा सिफारिश की गई पीएलएफएस अनुसूची जहां किसी व्यक्ति के साप्ताहिक कार्यकलाप की स्थिति का आकलन 2 मदों से किया जाता है।
- अनुसूची 10.2 (किसी एक मद में व्यक्ति को आबंटित साप्ताहिक कार्यकलाप स्थिति द्वारा अनुसूची 1.0 के वार्षिक दौरों में अपनाई गई रोजगार-बेरोजगारी का विवरण एकत्र करने के अनुसार)।
- अनुसूची 10.3 (एनएसएसओ के पंचवार्षिक दौरों के रोजगार-बेरोजगारी अनुसूची की तर्ज पर अनुसूची जहां किसी व्यक्ति की साप्ताहिक कार्यकलाप स्थिति का निर्धारण संदर्भाधीन सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए एकत्र दैनिक कार्यकलाप स्थिति पर किया जाता है)।

3.48 पीएलएफएस की तीन प्रकार की अनुसूचियों में देखा गया कि अनुसूची 10.3 में एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर, पीयू तथा यूआर के अनुमान एनएसएसओ के पंचवार्षिक ईयूएस के तदनुरूपी अनुमानों के परिमाप के समान है।

3.49 अनुसूचियों के संबंध में, एससीएलएफएस द्वारा पीएलएफएस प्रायोगिक की 7वीं और 8वीं तिमाही में प्रचारित की गई अनुसूची 10.3 की आधारभूत संरचना पर विचार किया और राष्ट्रीय कौशल विकास एजंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय लेखा डिवीजन (एनएडी) आदि की आवश्यकताओं पर विचार करने के उपरांत पीएलएफएस (अनुसूची 10.4) में अपनाते हुए आवश्यक बदलाव किए गए। एससीएलएफएस द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(i) रोजगार तथा बेरोजगारी के पंचवार्षिक सर्वेक्षण के साथ तालमेल रखने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों सामान्य स्थिति में सूचना एकत्रित करने हेतु जांच अनुसूची में प्रावधान किया गया।

(ii) संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए रोजगार न मिलने की स्थिति की जानकारी के लिए व्यक्ति की कार्य गतिविधियों, अतिरिक्त कार्य के लिए उपलब्ध घंटों से संबंधित सूचना एकत्र की जाएगी।

(iii) संदर्भाधीन सप्ताह के प्रत्येक दिन में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने हेतु, प्रत्येक दिन के लिए कम से कम दो गतिविधियों पर सूचना एकत्रित की जाएगी जैसे कि कार्य के घंटे, 2 अंकीय एनआईसी कोड, 3 अंकीय एनसीओ कोड, नैमित्तक मजदूर के तौर पर प्राप्त मजदूरी/लेना (प्राप्त/प्राप्त होने योग्य) और निर्माण मजदूरी/वेतन भोगी कार्यों के साथ उस दिन किए काम के कुल घंटे।

(iv) एनएसडीए तथा एनएडी की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए, 12 से 59 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण के कुछ पहलुओं पर सूचना एकत्रित की जाएगी और "सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र" के लिए

उद्यम प्रकार कोड के ब्यौरों को आगे विभाजित करके सामान्य स्थिति में कामगार से सूचना एकत्रित की जाएगी।

(v) एक एकल प्रश्न से स्वरोजगार कार्यकलाप से प्राप्त होने वाली निवल आय पर सूचना एकत्रित करना कठिन होगा तथा इसलिए इसे अनुसूची से हटाया गया है।

(vi) समिति ने ठेका मजदूरों, कौशल विकास, स्वरोजगार से आदि हेतु अपेक्षित अतिरिक्त आंकड़ा आवश्यकताओं के महत्व को नोट किया लेकिन पाया कि इस स्तर पर कोर श्रम बल माड्यूल पर बोझ डालना उचित नहीं होगा। ऐसे विषयों को प्रत्येक वर्ष में एक मुद्दे को कोर श्रम बल अनुसूची में माड्यूल के तौर पर उठाया जाए।

(ii) सीएपीआई का कार्यान्वयन

3.50 एनएसएसओ के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत डब्ल्यूबी सीएपीआई समाधान के प्रायोगिक सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट में एनएससी ने पाया कि आंकड़ा संग्रहण के लिए ग्राहक अंतरफलक का उपयोग करने में एनएसएसओ के जांचकर्ताओं/उत्तरदाताओं की सुविधा के स्तर जैसे क्षेत्र के लिए नई प्रौद्योगिक अपनाने में वर्तमान परिवेश तथा सांस्कृतिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए पीएलएफएस सर्वेक्षणों में अन्य बातों के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकी का विश्लेषण किया जाए। यह भी नोट किया गया कि तीन राज्यों नामत: हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा ओडिशा के 9 फील्ड कार्यालयों समाधान के प्रायोगिक सर्वेक्षण पर डीपीडी तथा एफओडी की फील्ड बैक रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि समूह ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के लिए डब्ल्यूबी सीएपीआई समाधान का उपयोग करने की सिफारिश की। समूह ने ऐसे कारक भी सामने रखे जिन्हें समाधान का उपयोग करते समय नियंत्रित/ध्यान में रखा जाना चाहिए।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

3.51 उपर्युक्त जानकारी तथा बैठक में विस्तार से हुई चर्चा के आधार पर एनएससी द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) एनएससी ने स्थायी पैनल अभिकल्पण पर एससीएलएफएस की अंतरिम सिफारिश पर सहमति नहीं दी। प्रतिदर्श अभिकल्पण को पूर्ण रूप से बदलने की बजाय, एनएससी ने अभिकल्पण आधारित अनुमानों के साथ रोटेशनल पैनल डिजाइन को बनाए रखने की इच्छा जाहिर की। इस अभिकल्पण के अंतर्गत पहला मुआयना आंकड़ा एनएसएसओ के निर्माण ईयूएस फ्रेम वर्क की प्रतिकृति होगी। इससे वार्षिक अनुमान भी जनित किए जा सकेंगे। इसके अलावा, सामान्य फील्ड परिस्थितियों में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में स्थायी पैनल अभिकल्पण में बताई गई धारणा कि परिवारों को तीन वर्षों के लिए निश्चित कर दिया जाएगा। एक अनुचित अवधारणा है। इसके मद्देनजर, एनएससी ने

कहा कि एससीएलएफएस को तदनुसार सूचित किया जाए तथा इसी परिप्रेक्ष्य में अन्य अभिकल्पण पर विचार बनाएं।

(2) एनएससी द्वारा, निम्नलिखित बदलावों/सुझावों के अध्यधीन पूछताछ अनुसूची के संबंध में एससीएलएफएस की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया :

(i) 12 से 59 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों की व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी ब्योरा अनुसूची के विशेष जनांकिकी ब्लॉक से हटाकर अलग ब्लॉक में रखा जाए। अनुसूची में उसे बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष उसकी समीक्षा उसके उपयोग के आधार पर की जाए और यदि किसी वर्ष में किसी मद की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे हटा/छोड़ दिया जाए।

(ii) अनुसूची के जनांकिकी विवरण ब्लॉक में "औपचारिक शिक्षा में वर्षों की संख्या" मद को शामिल किया जाए, चूंकि एसडीजी संकेतकों के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। इस प्रश्न को चालू रखा जाए बशर्ते कि फील्ड स्टाफ को दिए गए अनुदेशों में यह स्पष्ट हो कि अंतिम कक्षा का उल्लेख हो न कि स्कूल के पूरा करने का स्तर (जैसे कि 5वीं पास, 8वीं पास आदि)।

(iii) फील्ड कार्यकर्ताओं की अनुदेश पुस्तिका में उचित निर्देश शामिल किए जाएं कि प्रत्येक वर्ष की किस तिमाही में जिसमें कि सामान्य सिद्धांत तथा परिवार के सदस्यों के सामान्य गौण आर्थिक कार्यकलाप विवरण पर आंकड़ा एकत्रित किया जाना है।

(iv) चालू साप्ताहिक कार्यकलाप विवरण में :

(क) प्रत्येक दिन के लिए प्रत्येक कार्यकलाप हेतु 3 अंकीय एनसीओ कोड पर सूचना एकत्र करना आवश्यक नहीं है। संपूर्ण संदर्भाधीन सप्ताह के लिए एकल मद के रूप में सूचना एकत्र करना पर्याप्त होगा।

(ख) नैमित्तिक मजदूरों के संबंध में केवल कार्यकलाप स्थिति कोड के लिए प्रत्येक दिन के काम के लिए मजदूरी/वेतन पर सूचना एकत्र की जानी चाहिए। नियमित मजदूरों/वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए पिछले कैलेंडर माह की तदनुरूपी अवधि में अर्जित धन को एकल मद के तौर पर एकत्रित किया जाना चाहिए। स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार कार्यकलाप से प्राप्त पिछले 30 दिनों की सकल आय की जानकारी एकत्र की जानी चाहिए, जिसे वर्गीकृत चर के रूप में उपयोग किया जाए।

(v) अंतिम रूप से तैयार प्रतिदर्श अभिकल्पण के आधार पर अनुसूचियों में उपयुक्त बदलाव किए जाए।

(3) एनएसएसओ तालिकाओं और इकाई स्तरीय आंकड़ों पर प्रसार योजना ला सकती है। एनएसएसओ समय-समय पर प्रसार योजना की समीक्षा के लिए आवधिक आधार पर आंकड़ा उपयोगकर्ता सम्मेलन बुला सकती है।

(4) एनएससी ने डब्ल्यूबी सीएपीआई समाधान के प्रायोगिक परीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया और सिफारिश की कि समाधान को पीएलएफएस के लिए अपनाया जाए जिसके लिए एनएसएसओ आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुमोदन समय से प्राप्त कर सकता है।

3.52 उपर्युक्त सिफारिश एनएसएसओ को पत्र संख्या 17(1)80/एनएससी/2015-16 दिनांक 21 जनवरी, 2016 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

विभिन्न सांख्यिकीय गतिविधियों में प्रगति/स्थिति तथा एनएसएसओ के प्रयास

3.53 महानिदेशक एनएसएसओ द्वारा एनएससी की 76वीं बैठक में विभिन्न सांख्यिकीय कार्यकलापों में हुई प्रगति/स्थिति तथा एनएसएसओ के प्रयासों पर एक प्रस्तुतीकरण दी गई। प्रस्तुतीकरण में चल रहे सर्वेक्षणों के संबंध में मई, 2015 के अंत तक प्रगति में हुई उपलब्धियों के ब्योरे दिए गए। कुछ नए कार्यकलापों में एनएसएसओ द्वारा निभाई जा रही भूमिका, जैसेकि नशीली दवाओं के दुरूपयोग सर्वेक्षण, सेवा क्षेत्र का वार्षिक सर्वेक्षण, समय उपयोग सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, एनएसएस में राज्य तथा केंद्रीय प्रतिदर्शों की पूलिंग, यूएफएस मानचित्रों की डिजीटाइजेशन, यूएफएस को जनगणना ईबी के साथ एकीकृत करना, आंकड़ा संग्रहण/तैयार करने में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, परिणाम जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए उठाए गए कदम, सीएपीआई साफ्टवेयर की प्रायोगिक परीक्षण तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उचित सांख्यिकीय फ्रेमवर्क तैयार करना शामिल है।

3.54 बैठक में बताया गया कि एनएसएसओ (एसडीआरडी) द्वारा गुणवत्ता निष्पादन मानक आईएसओ 2008 : 9001 प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है तथ एसडीआरडी आशा करती है कि यह प्रमाण-पत्र उसे शीघ्र मिल जाएगा।

3.55 नशीली दवाओं के दुरूपयोग सर्वेक्षण के संबंध में बैठक में बताया गया कि प्रायोगिक परीक्षण की प्रस्तावित कार्यप्रणाली वाली कार्यकारी समूह की रिपोर्ट को एनएससी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। चर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि परिवार आय, बचत एवं निवेश के अनुमान लगाने के लिए कराए गए प्रायोगिक परिवार सर्वेक्षण सफल नहीं रहा।

3.56 परिणामस्वरूप एनएससी ने अपनी 79वीं तथा 82वीं बैठकों में एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा का और एनएसएसओ के विभिन्न सांख्यिकीय गतिविधियों में हुई प्रगति/स्थिति तथा किए गए प्रयासों को नोट किया।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

3.57 तिमाही समीक्षा के आधार पर एनएससी ने निम्नलिखित सिफारिशें की :

(1) एनएसएसओ विभिन्न सांख्यिकीय गतिविधियों तथा प्रयासों पर हुई प्रगति/स्थिति पर एनएससी को तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

(2) परिवार आय, बचत तथा निवेश के अनुमान लगाने पर हुए प्रायोगिक परिवार सर्वेक्षण की कार्यपद्धति पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण एनएससी के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(3) मास्टर प्रतिदर्श की संभाव्यता पर एनएसएस 72वें दौर के कार्यकारी समूह की रिपोर्ट में तेजी लाई जाए।

(4) एनएसएसओ अपने अब तक के अनुमान तथा सफलता के आधार पर केंद्र तथा राज्य एनएसएस प्रतिदर्शों की पूलिंग की अपनी नियम पुस्तिका और उस पर प्राप्त टिप्पणी/सुझावों की समीक्षा करे। नियम पुस्तिका में संदर्भ एल्गोरिथम होने चाहिए जो उपयोगकर्ता अनुकूल हो।

(5) प्रस्तावित पीएलएफएस में अपनाई गई कार्यपद्धति में, जहां कहीं भी श्रम इनुपट पद्धति आरंभ की गई है वहां राष्ट्रीय लेखों के संकलन में सेवा क्षेत्र के संबंध में हाल ही हुए प्रणालीगत बदलावों के संदर्भ में उपयुक्त इनपुट दिए जाने चाहिए। इसके मद्देनजर एनएसएसओ एनएडी से आवश्यक जानकारी लेगा अपने सुझावों के साथ श्रम बल सांख्यिकी पर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। एनएससीएस एससीएलएफएस की रिपोर्ट के आधार पर इस पर विचार करेगी।

(6) एनएसएसओ, विशेष रूप से एसडीआरडी जो कि आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने जा रही ही है इंडक्शन सामग्री वाली नियम पुस्तिका के रखरखाव तथा आवधिक अद्यता करता रहे जिससे कि वर्तमान में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नए भर्ती होने वाले इसे संदर्भ सामग्री के तौर पर उपयोग कर सकें।

(7) समय-समय पर आयोजित सेमिनार/कार्यशालाओं की रिपोर्टों को एनएससी के सदस्यों के बीच परिचालित किया जाए।

3.58 उपर्युक्त सिफारिशें एनएसएसओ के पत्र संख्या 4(76)/2014 एनएससी दिनांक 27 जुलाई, 2015 के माध्यम से अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई : एनएसएसओ)

अध्याय-4

अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

4.1 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एनएससी द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अलावा कई विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जा रही कई सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कई मंत्रालयों/विभागों की सांख्यिकीय गतिविधियों में सहयोग दे रहा है। समीक्षा के ब्योरे नीचे के पैराओं में दिए गए हैं।

भूमि उपयोग वर्गीकरण

4.2 रंगराजन आयोग (2001) की सिफारिशों के आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा राज्यों की सलाह से राज्यों को निर्देश देने का एक प्रस्ताव बनाया, जिससे उन्हें नियमित आंकड़ा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अपने भूमि उपयोग वर्गीकरण को नौ गुना से बढ़ाकर 12 गुना करने के लिए तीन नई श्रेणियां शामिल करने का सुझाव दिया। तीन नई श्रेणियां नामत: सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आने वाली भूमि, जल स्रोतों में आने वाली भूमि को, प्लावित भूमि तथा दलदली भूमि को, नौ गुना वर्गीकरण में उप-श्रेणियां बनाकर "गैर कृषिगत उपयोग के अंतर्गत क्षेत्र" में शामिल करने का प्रस्ताव किया। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने अ.शा.पत्र संख्या 8/3/2014-स्टैट/2 दिनांक 18.02.2015 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ निचले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वर्गीकरण में आगे वृद्धि करने का प्रस्ताव किया।

4.3 सचिवालय द्वारा प्रस्तुत नोट पर एनएससी द्वारा विचार किया गया जिसमें राज्यों में उपयोग किए जाने वाले भूमि उपयोग वर्गीकरण को समझाने, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी तथा भू-संसाधन विभाग तथा पर्यावरण अर्थ लेखा प्रणाली (एसईईए) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों में यथानिर्धारित भूमि उपयोग और भूमि उपयोग पर स्पष्टीकरण दिया गया था।

4.4 भूमि उपयोग वर्गीकरण के मुद्दे पर एनएससी द्वारा उसकी 74वीं बैठक में चर्चा की गई थी। उप-महानिदेशक एनएससी सचिवालय तथा एनआरएसए के अधिकारियों द्वारा बैठक में एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

4.5 दी गई जानकारियों और प्रस्तुतीकरणों के आधार पर एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ नोट किया कि मौजूदा वर्गीकरण में प्रविष्टियों में से वन टु वन पत्राचार करना संभव नहीं है और किंतु प्रविष्टियों में जटिल भिन्नताओं को समझ पाना संभव होगा और तदनुसार, उप-श्रेणीकरण किया जाए, जिसमें बाद में नौ गुना वृद्धि इस प्रकार की जाए कि उपयोगकर्ताओं की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, भारत के एसईईए वर्गीकरण को अपनाने के साथ। एनएससी ने

यह भी महसूस किया कि पिछले दो दशकों के दौरान फील्ड की खराब परिस्थितियों के मद्देनजर पटवारी के कार्यभार बढ़ाने का प्रोत्साहन नहीं देती है।

4.6 इसके अलावा, पर्याप्त कवरेज तथा परिभाषात्मक स्पष्टता के साथ वर्गीकरण की मानकीकृत किए जाने की आवश्यकता है, ऐसे उपयुक्त सरकारी स्रोतों की पहचान करना जो वर्गीकरण (पूर्णतया अथवा आंशिक) के अनुसरण में आंकड़ा प्रवाह सुनिश्चित कर सकें, जहां आवश्यक हो वहां आंकड़ा प्रवाह के संबंध में वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए समाधान कर सकें तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एकीकृत करने की संभावनाओं को ढूंढ़ने का प्रयास इस प्रकार करें कि नौ गुना वर्गीकरण के साथ उसकी तुलनीयता बनी रही। यह देखा गया कि भूमि उपयोग वर्गीकरण पर आधारित भूमि उपयोग सांख्यिकी को कृषि क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से बाहर सांख्यिकी के एक स्रोत के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

4.7 उपर्युक्त तथ्यों तथा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की कि :

(1) सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय विस्तृत जांच के लिए एक विशेष समूह का गठन को और छह महीनों के अंदर अपनी सलाह दे।

(2) समूह में सीएसओ (एनएडी), सीएसओ (एसएसडी), डीएसी, डीओएलआर, एनआरएसए तथा एमओईएफसी के अधिकारियों तथा कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए; और

(3) समूह में शामिल होने वाले गैर-सरकारी सदस्यों का निर्णय एनएससी के अध्यक्ष के अनुमोदन से लिया जाए।

4.8 उपर्युक्त सिफारिशें सभी संबोधित कार्यालयों को पत्र संख्या 4(74)/2014-एनएससी दिनांक 20 अप्रैल, 2015 के माध्यम से संप्रेषित की गई।

(कार्रवाई : कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

शिक्षा पर सांख्यिकी

4.9 एनएससी के करने पर सीएसओ (ईएसडी) द्वारा शैक्षणिक सांख्यिकी पर एक विषय पेपर आमंत्रित किया गया। "शिक्षा पर सांख्यिकी" नामक विषय पेपर डॉ. जे बी जी तिलक, डॉ. पी आर पंचमुखी तथा डॉ. के बिस्वाल द्वारा लिखा गया। विषय पेपर के आधार पर सीएसओ (एसएसडी) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सलाह करने के उपरांत चर्चा पेपर तैयार किया। दोनों पेपरों पर एनएससी द्वारा उसकी 78वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया। सीएसओ (एसएसडी) के अधिकारियों द्वारा एनएससी की 78वीं बैठक में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

4.10 थीम पेपर में सिफारिश किए गए कार्रवाई के बिंदुओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) विभिन्न एजेंसियां जो शैक्षणिक सांख्यिकी एकत्र करते हैं, के बीच समन्वय करने की आवश्यकता नहीं है। सत्यम समिति की सिफारिश के अनुसार अर्थात शिक्षा सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय आयोग/शिक्षा सांख्यिकी पर राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए नोडल संगठन द्वारा समन्वय किया जाना चाहिए । इससे कवरेज, तुलनीयता से संबंधित विभिन्न समस्याओं तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्रित की जा रही शिक्षा सांख्यिकी की औचित्यता का समाधान होगा।

(2) सांख्यिकी एकत्रित करने का मुख्य दायित्व सरकार के पास होना चाहिए, परंतु उपलब्ध सूचना (एक बार प्रकाशित होने पर) की तुलना में शामिल तथा समय श्रृंखला सूचना आदि निर्मित करने के कार्य अनुसंधान संस्थाओं को दिए जा सकते हैं।

(3) एक "कोर सूचना फ्रेमवर्क" विकसित किया जाना चाहिए जिस पर गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा समय से प्रकाश करने संबंधी किसी प्रकार का समझौता न किया जाना चाहिए। कोर फ्रेमवर्क में कारगर नियोजन तथा अच्छी नीति संदर्भित अनुसंधान के लिए आवश्यक लगभग सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसमें सूक्ष्म स्तरीय विशिष्टताएं तथा वृहत स्तरीय सम्मुचयों का चित्रण होना चाहिए।

(4) कोर सूचना के दो भाग हो सकते हैं। एक सूचना का वह प्रकार जो कि प्रत्येक वर्ष एकत्र किया जाना चाहिए तथा दूसरा गणना आधार पर प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान के दूसरे प्रकार की सूचना (छात्रों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल, शिक्षा एवं परिवार द्वारा किया गया व्यय और छात्रों की उपलब्धियों का स्तर) नियमित आधार पर एकत्र किया जाना चाहिए किंतु यह आवश्यक नहीं कि वह प्रत्येक वर्ष हो, वह प्रतिदर्श आधार पर तथा सूचना का स्रोत परिवार/शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए।

(5) सरकार को कम से कम कोर सूचना फ्रेमवर्क तथा समय से प्रकाशन का दायित्व लेना चाहिए। उपयोग की जा रही फिल्टरिंग प्रक्रिया तथा जिला, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर से शैक्षणिक सांख्यिकी के प्रसार के लिए आंकड़ा प्रबंधन हेतु अपनाई जा रही प्रणाली विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के लिए अपनाया जाना चाहिए।

(6) वर्तमान शैक्षणिक सांख्यिकी में चिह्नित किए गए सबसे महत्वपूर्ण अंतराल जो कि "कोर सूचना फ्रेमवर्क" में शामिल किया जाना चाहिए, वह (क) छात्रों की हाजिरी (ख) आय तथा व्यय तथा सरकारी, सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित सूचना (ग) शिक्षा में वित्तीय तथा वास्तविक संसाधनों के उपयोग पर सांख्यिकी (घ) प्रबंधन तथा स्कूल की अवस्थिति व छात्र के ग्रेड, लिंग, सामाजिक श्रेणी के अनुरूप छात्रों के सीखने की उपलब्धि आदि (ड.) छात्र की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और (च) शिक्षा पर छात्रों/परिवार द्वारा किया गया व्यय।

(7) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय छात्र की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षा पर परिवार द्वारा किया गया व्यय आदि पर आंकड़े और नियमित आधार, नियमित अंतरालों तथा और अधिक विस्तारपूर्व आंकड़े एकत्र कर सकता है।

(8) एक महत्वपूर्ण मद जिस पर सूचना एकत्र की जानी चाहिए वह उच्च शिक्षा के लिए "औपचारिक" गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थाएं तथा देश में "कुल" शिक्षा प्रणाली पर आंकड़ा आधार ऐसी सूचना के बिना पूरी नहीं होगी। अन्य मदों में गैर-औपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा, ओपन स्कूल आदि हैं जिन पर प्रणालीबद्ध आंकड़ा एकत्र नहीं किया जाता।

(9) संकेतकों का एक महत्वपूर्ण सैट जिस पर आंकड़ा एकत्र किया जाना चाहिए उसमें स्कूली सुविधाओं की गुणवत्ता, छात्रों के लिए उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें जिसमें पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता का समय, प्रत्येक कक्षा में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की संख्या, अध्यापक गाइड आदि की उपलब्धता है। ऐसी सूचना तथापि शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद द्वारा उसके अखिल भारत शैक्षणिक सर्वेक्षणों तथा मानव संसाधन अनुसंधान निकाय मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा सुधार संबंधी बड़े स्तर के कार्यक्रमों के लिए नामित तकनीकी समर्थन समूह द्वारा किया जाना चाहिए।

(10) आंकड़े संग्रहित करने के अंतरालों को कम करने के लिए प्रणालीगत स्तर पर सुधार किया जाना चाहिए। संस्थाओं से विस्तृत आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से (चूंकि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एनरोलमेंट संबंधी आंकड़ों का रखरखाव करते हैं) रिकार्डों को कम से कम 2-3 वर्षों तक रखा जाने के लिए कहा जा सकेगा।

(11) आंकड़ा संग्रहण की ऑन लाइन प्रणाली तथा प्रबंधन से लगने वाले समय में पर्याप्त रूप से कमी आएगी जो कि शिक्षा में वित्तीय विकेंद्रीकरण सहित सुधार तथा वहनीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

(12) प्रकाशन तथा प्रसार के संबंध में आवश्यक होगा कि सीडी रॉम सहित हार्ड प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं तथा ऑनलाइन आंकड़ा फाइलें डी-बेस तथा एक्सेस में उपलब्ध कराई जाए

(13) शैक्षणिक आंकड़े संग्रहित/प्रोसेसिंग/प्रकाशन/प्रसारित करने में शामिल सभी प्रमुख एजेंसियों का प्रतिनिधित्व शिक्षा सांख्यिकी पर उच्च स्तरीय स्थायी समिति की बैठकों में भी होना चाहिए।

(14) नियमित अंतरालों पर शैक्षणिक आंकड़ा आपूर्तिकर्ताओं तथा शैक्षणिक आंकड़ा उपयोगकर्ताओं की नियमित अंतरालों पर बैठकें आयोजित करना वांछनीय होगा। चूंकि सरकार स्वयं आंकड़ा आपूर्तिकर्ता है और कई पहलुओं के हिसाब से शैक्षणिक नीति निर्माता भी हैं तो यह उचित होगा यदि संबंधित विभाग यह बताएं कि वास्तव में वे आंकड़ों का किस प्रकार उपयोग करते हैं।

(15) यह वांछनीय है कि इधर-उधर फैले आंकड़ों को शिक्षा के प्रमुख मुद्दों के अनुसार एक ही स्थान पर इकट्ठा करके उन्हें संकलित किया जाए और एक डाटा बैंक स्थापित करने के उपाय किए जाएं तथा नियमित अंतरालों पर प्रवृत्ति रिपोर्ट निकाली जाए।

(16) आयोग तथा आंकड़ा संग्रहित करने की आवश्यकता है। जब तक कि आंकड़ा संग्रहण को आयोजन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा नहीं बनाया जाना, संग्रहण की प्रक्रिया में सुधार नहीं आ सकता। आंकड़ा संग्रहण के फार्मेटों की जटिलताओं तथा राज्य स्तर पर आंकड़ा संग्रहण की कमजोरी मशीनरी की वजह से राज्य स्तर पर आंकड़ा संग्रहण में

विलंब की वजह से सूचना प्रवाह में विलंब होता है। नियमित आधार पर प्रशिक्षण के प्रावधान से शैक्षणिक सांख्यिकी के संग्रहण में सुधार आ सकता है।

4.11 सीएसओ (एसएसडी) के विचार-विमर्श पेपर में कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए जिन पर ध्यान किया जाए आवश्यक है, वे निम्नानुसार हैं :

(1) इस तथ्य के बावजूद कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के बाद से स्कूल शिक्षा सांख्यिकी का प्रसार करना बंद कर दिया है, स्कूली शिक्षा पर वार्षिक आंकड़ें उपलब्ध करवाने वाला नियमित स्रोत अब यू-डीआईएसई जिसे कि सरकारी का दर्जा अभी दिया जाना है। उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि लाने क लिए उसके आंकड़ों की गुणता की नियमित जांच के लिए एक तंत्र बनाया जाना आवश्यक है।

(2) आंकड़ा संग्रहण की उसकी वर्तमान प्रणाली में, विभिन्न ग्रेडों में उपलब्धि के स्तरों को कैप्चर नहीं किया जाए। एक उचित प्रतिचयन पद्धति तैयार करने की आवश्यकता है जिससे कि निर्माण अंतरालों पर प्रतिदर्श अध्ययन आयोजित किया जा सके जिससे गुणवत्तापरक सुधारों में हुई प्रगति पर अध्ययन किया जा सके।

(3) यू-डीआईएसई के अंतर्गत, स्कूलों की एक निर्देशिका तैयार करने का प्रयास किया जाना चाहिए और स्कूलों को एक यूनिक कोड दिया जाना चाहिए जिससे कि किसी विशेष वर्ष में कवरेज के अंतर्गत उसकी जानकारी मिल सके।

(4) गोविंदा समिति की सिफारिशों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सांख्यिकी प्रभाग पर स्कूली शिक्षा सांख्यिकी की गुणवत्ता की निगरानी और उसके प्रकाशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

(5) वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थानों की ग्रेडिंग तथा रैंकिंग के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। कई देशों में विद्यार्थी संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं जो कि संस्थानों की रैंकिंग में बहुत मददगार होते हैं। इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो, तो कुछ प्रायोगिक अध्ययन की योजना बनाई जा सकती है।

(6) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए जिससे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा करवाए जा रहे शिक्षा सांख्यिकी पर सर्वेक्षणों में संस्थाओं से उत्तर होने में वृद्धि हो सके।

4.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि :

(1) यू-डीआईएसई के अंतर्गत वे कालेज जिनमें 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई चल रही है को छोड़ दिया गया है। न तो ऐसे कालेजों की संख्या न ही उनकी कवरेज के बारे में जानकारी मिलती है। परिणामस्वरूप इन कक्षाओं में पंजीयन का कम आकलन हो पाता है।

(2) स्कूलों तथा उच्च शिक्षा वाले स्कूलों तथा संस्थाओं में राज्य/जिला स्तर पर आंकड़ा संग्रहण का कार्य करने वाले समर्पित व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण सांख्यिकीय कर्मियों का अभाव है।

(3) पोर्टल मोड से एकत्र किए जा रहे उच्च शिक्षा संबंधी आंकड़ों की गुणवत्ता और उसकी समयपरकता यूजीसी तथा एआईसीटीई जैसे नियामकों के विनियामक फ्रेमवर्क पर निर्भर करता है।

(4) सांख्यिकी प्रभाग द्वारा स्कूली शिक्षा सांख्यिकी प्रकाशित करने की गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी देना व्यावहारिक नहीं है और मामला विचाराधीन है।

4.13 एनएससी की 78वीं बैठक में हुए विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए प्रश्न/मामले निम्नानुसार हैं :

(1) उच्च शिक्षा पर अखिल भारत सर्वेक्षण, अखिल भारत स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण, एनसीईआरसी, एनयूईपीए का यू-डीआईएसई सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षणों के आंकड़ा संग्रहण तथा रिपोर्टें/इकाई स्तरीय आंकड़े जारी करने आदि की समय-सीमा क्या है?

(2) क्या आंकड़ों के प्राप्ति के लिए कोई कट-आफ तिथि निर्धारित है और क्या कर-ऑफ तिथि के बाद मिलने वाले आंकडों को शामिल करने के लिए रिपोर्टों को संशोधित किया जाता है?

(3) क्या शिक्षा क्षेत्र पर इकाई स्तरीय आंकड़े पब्लिक डोमेन पर हैं?

(4) क्या अखिल भारत स्कूली शिक्षा सर्वेक्षणों के लिए कोई निश्चित अवधि तय की गई है?

(5) क्या शिक्षा सर्वेक्षण विशेष रूप से एआईएसएचई, एआईएसईएस आदि किसी नियामक तंत्र अथवा किसी नियामक उद्देश्य या सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कराए जाते हैं, जिससे कि गुणवत्ता, बेहतर प्रतिक्रिया और समयपरकता सुनिश्चित हो सके।

(6) एआईएसएचई में स्टैंड-अलोन संस्थाओं की परिभाषा में स्पष्टता अपेक्षित है। उदाहरणतया क्या एनआईआईटी, कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थान, तथा इलेक्ट्रानिक विभाग के मान्यता प्राप्त संस्थान इसमें कवर होते हैं? बेहतर होगा यदि इसमें अलग की गई संस्थाओं को स्पष्ट रूप दिखाया जाना चाहिए। फ्रेम में कवरेज पर स्पष्टता दर्शाना आवश्यक है।

(7) क्या एआईएसएचई की परिभाषा यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (नकारात्मक सूची दृष्टिकोण) द्वारा उपयुक्त परिभाषा के अनुरूप है।

(8) क्या एमएचआरडी सरकारी उद्देश्यों के लिए यू-डीआईएसई अथवा एआईएसईएस के आंकड़ों को मान्यता/प्रमाणित करता है जैसेकि नीति निर्माण के लिए एमएचआरडी द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्कूली आंकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों (उदाहरणतया यूनेस्को) की आपूर्ति आदि। क्या देश में विभिन्न एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आंकड़ा सीधे भेजने की अनुमति दी गई है?

(9) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रकाशन "शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण" में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अलावा मंत्रालयों द्वारा शिक्षा पर भी व्यय किया गया है? क्या बजटीय विश्लेषण सीएसओ (एनएडी) द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से मेल खाता है।

4.14 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ऊपर उल्लिखित संदेहों/मामलों को ध्यान में रखते हुए, "मुख्य कार्यकलापों का सार" मार्गनिवेश तथा सांख्यिकीय गतिविधियां चला रहे केंद्रीय मंत्रालयों के अनुपालनार्थ परिचालित किया गया। विषय पेपर तथा चर्चा पेपर में दी गई सिफारिशों के अनुरूप ही कार्यों का खाका तैयार किया जा सके। एनएससी ने अपनी 78वीं बैठक में कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन्हीं रूपरेखाओं पर एनएससी के समक्ष अपनी जानकारी दे सकती है।

4.15 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऊपर पूछे गए प्रश्नों तथा अन्य मुद्दों पर अपने जबाव से संबंधित एक नोट एनएससी के विचारार्थ उसकी 79वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में हुई चर्चा में भाग लिया।

4.16 एनएससी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के बिंदुओं को नोट किया। यह पाया गया कि बहुत से मामलों में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सीधे तौर पर आंकड़ा संग्रहण में शामिल नहीं है, परंतु अपने सरकारी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अन्य एजेंसियों द्वारा तैयार आंकड़े/रिपोर्टों का उपयोग करते हैं। इसकी पुष्टि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा की गई, जिन्होंने एनएससी की 79वीं बैठक में भाग लिया था। चूंकि आंकड़ों/रिपोर्टों का उपयोग सरकारी उद्देश्यों क लिए किया जाता है इसलिए उन्हें सरकारी सांख्यिकी की वास्तविक स्थिति का दर्जा प्राप्त है।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

4.17 उपर्युक्त के मद्देनजर, एनएससी द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) यह कहा गया कि शिक्षा पर बजटीय व्यय के विश्लेषण में सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय शमिल है। सीएसओ (एनएडी) से अनुरोध किया गया कि वे एमएचआरडी तथा सीएसओ (एनएडी) द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के बीच सामंजस्यता की जांच करने का अभ्यास किया जाए।

(2) विषय पेपर तथा चर्चा पेपर में दी गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन हेतु एमएचआरडी द्वारा उचित रूप से विचार किया जाए।

3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा क्षेत्र पर नियमित आंकडा संग्रहण के लिए समग्र दृष्टिकोण विकसित करे। सुझाव दिया गया कि उच्च शिक्षा संस्थाओं को गणना आधार पर कवर किया जाए ताकि मान्यता प्राप्त/पंजीकृत स्कूल शिक्षा संस्थाओं को गणना आधार पर कवर किया जा सके तथा मान्यता रहित/अपंजीकृत स्कूल शिक्षा संस्थाओं को प्रतिदर्श आधार पर शामिल किया जा सके । मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी तीन संघटकों के लिए एक सूची फ्रेम तैयार करे। मान्यता रहित/अपंजीकृत स्कूल शिक्षा संस्थाओं संबंधी ढांचा तैयार करने के लिए, आर्थिक गणना आंकडे प्रयुक्त किए जाएं । मानव संसाधन विकास मंत्रालय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनुपालन में सुधार करने के लिए जहां आवश्यक और कारगर हो, आंकडा संग्रहण करने पर भी विचार करे ।

4 मौजूदा प्रणाली में, लगता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आंकडों की गुणवता पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता है। इस प्रकार, सुझाव दिया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रतिदर्शी जॉच आदि के माध्यम से, आंकडों की गुणवता पर सांख्यिकी लेखा-परीक्षा की प्रणाली विकसित करें ।

4.18 उक्त उल्लिखित अनुशंसाओं को दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 के पत्राचार संख्या 17(1) (79)/एनएससी /2015-16 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित की गई।

(कार्रवाई: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय)

सेवा उत्पादन सूचकांक और सेवा मूल्य सूचकांक

4.19 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अन्तर्गत आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (ओ ए ई) ने सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) तथा सेवा मूल्य सूचकांक (एसपीआई) के विकास पर एक नोट प्रस्तुत किया। ओ ए ई के अधिकारियों ने एन एस सी की 79 वीं बैठक में एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रो0 बिस्वनाथ गोलदार (पूर्व सदस्य, एन एस सी) जो बिजनेस सेवा मूल्य सूचकांक के विकास संबंधी विशेषज्ञ समिति का सदस्य था, ने विचार-विमर्शो में भी भाग लिया ।

4.20 सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों में आंकड़ा उपलब्धता और आकंडा प्रवाह से संबंधित मुख्यत: मुद्दों के समूह को उनके प्रस्तुतीकरण के दौरान ओ ए ई अधिकारियों द्वारा संकेत दिया गया । ओ ए ई ने अपने नोट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उल्लेख किया ।

(क) ओ ए ई ने प्रयोगमूलक बिजनेस एसपीआई के विकास के प्रारंभिक चरण में दस क्षेत्रों को निर्धारित किया है । दस सेवाओं में से, ओ ए ई सतत आधार पर रेल परिवहन सेवाओं, डाक सेवाओं, दूरसंचार (सेल्युलर) सेवाओं के लिए प्रयोगात्मक एसपीआई का संकलन कर रहा है तथा ये क्रमश: रेलवे बोर्ड, डाक विभाग और भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आपूरित आंकडों पर आधारित हैं ।

(ख) बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रयोगात्मक एसपीआई का आरबीआई द्वारा संकलन किया जाता है तथा ओ ए ई द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ।

(ग) एयर सर्विस मूल्य सूचकांक नागर विमानन महानिदेशालय(डीजीसीए) के माध्यम से संग्रहित विभिन्न एयर लाइन्स से आंकड़ों के आधार पर विकसित किया गया है तथा अपेक्षित आंकड़ों के निर्बाध प्रवाह के माध्यम से सूचकांक अद्यतन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(घ) कार्यकारी निदेशक, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद की अध्यक्षता में एक उप-समिति बीमा सेवा के प्रयोगात्मक एस पी आई के विकास पर कार्य कर रही है ।

(ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवहन अनुसंधान विंग (टीआरडब्ल्यू) पोत सेवा के लिए प्रयोगात्मक एसपीआई का विकास करने की प्रकिया में है/टीआरडब्ल्यू, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सहायता से सड़क परिवहन (भाड़ा) सेवा मूल्य सूचकांक का विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे है । सड़क परिवहन सूचकांक के लिए अपेक्षित आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु क्षेत्र के लिए संगठित आंकड़ों का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है ।

(च) एसपीआई के विकास संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा अन्तिम रूप दी गई कार्य प्रणाली सूचकांक के संकलन के लिए प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण का सुझाव देती है, तथापि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की सीमाओं पर विचार करते हुए, सूचकांक के संकलन हेतु द्वितियक स्रोतों का पता लगाने के लिए ओएई द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

(छ) एस पी आई और आई एस पी (सीएसओ द्वारा संकलित) के अन्तर्गत सेवाओं की कवरेज की तुलना करते हुए, यह नोटिस किया गया कि सीएसओ सड़क परिवहन (भाड़ा) सेवा, व्यापार सेवाओं तथा बिजनेस सेवाओं को शामिल नहीं करता है । जबकि ओएई स्वास्थ सेवाओं और शिक्षा सेवाओं को शामिल नहीं करता है ।

(ज) एनएससी सेवा वर्गीकरण के स्तर, जिसे सूचकांकों के लिए विचार किए जाने की जरूरत है, को सुदृढ़ किया जाना है ।

(झ) एनएससी की 68वीं बैठक (जुलाई, 2014) में, निर्णय लिया गया कि आईएसपी के प्रत्येक घटक/उप-घटक के लिए सूचकांक संकलित किए जाएं तथा उचित कार्यप्रणाली को

तैयार करने के उपरांत संबंधित प्रमुख मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाएं । तथापि, एसपीआई के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

(ञ) सेवा उत्पादन सूचकांक और सेवा मूल्य सूचकांक के लिए कार्य प्रणालियों का विकास करने में एक समेकित दृष्टिकोण का अनुसरण किए जाने की जरूरत है ।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

4.21 एनएससी ने उक्त उल्लिखित मुद्दों को नोट किया तथा निम्नलिखित अनुशंसाएं की ;

1) सेवा क्षेत्र संबंधी सभी साख्यिकीय उत्पादों के संबंध में अनुपालन किए जाने वाले दृष्टिकोणों के समेकन की जरूरत पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है । विशेषत; राष्ट्रीय लेखा फ्रेमवर्क की पुष्टि करने वाले ऐसे समेकित दृष्टिकोण इस क्षेत्र संबंधी विभिन्न एजेंसियों द्वारा तैयार किए जा रहे सूचकांकों के संबंध में वांछनीय हैं । सभी कार्य प्रणाली और आकंड़ों के मुद्दे सेवा क्षेत्र संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखे जाएं ।

(2) ऐसे मामलों में जहां आंकड़ा उपलब्धता बाधाओं के कारण सेवा मूल्य सुचकांक संकलित करना कठिन है तथा दिहाडी घटक काफी उँचा है, प्रोक्सी अथवा अप्रत्यक्ष उपाय के रूप में दिहाड़ी सूचकांक संकलन करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाए ।

(3) आकंड़ा प्रवाह के संबंध में, विशेषताओं के साथ अपेक्षाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है । आंकड़ा प्रवाह के लिए उतरदायी ठहरायी जाने वाली स्रोत सरकारी एजेंसियों का पता लगाया जाए तथा संबंधित उप-क्षेत्रों के लिए सूचकांक तैयार करने हेतु उन्हे कार्यप्रणालीगत-मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

(4) आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, विशेषत; ऐसे मामलों में जहां आनलाइन विपणन आम है, वहां मूल्य कोटेशनों संबंधी कारगर आकंड़ा संग्रहण के लिए विचार किया जाए ।

4.22 उक्त अनुशंसाएं दिनाकं 28 दिसम्बर, 2015 के पत्राचार संख्या 17 (79)/एनएससी/2015-16 के तहत ओएई को अग्रेषित की गई ।

(कार्रवाई: डीआईपीपी)

4.23 स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ डब्ल्यू) ने दिनांक 18-12-2015 के अपने पत्र सं0 जेड़. 28020/38/2014 - सीएच के तहत एनएससी के विचारों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव यूनिसेफ की सहभागिता से स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा विकसित प्रोटोकोल्स और प्रश्नावलियां का सर्वेक्षण करने से संबंधित है । स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैनात अधिकारियों ने एनएससी के समक्ष उसकी 81 वीं बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया । इस प्रस्ताव को डॉ. राजीव मेहता, सदस्य, एनएससी द्वारा भेजी गई । टिप्पणियों पर भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया ।

4.24 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित, भारत के राजपत्र असाधरण भाग -11) खण्ड़ -4 में दिनाकं 5 दिसम्बर 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 232 के तहत सांख्यिकीय सर्वेक्षणों को आयोजित करने संबंधी दिशा-निर्देशों में विहित अनुदेशों का अनुसरण करते हुए, प्रस्ताव पर एनएससी द्वारा विचार-विमर्श किया गया । प्रस्तुत किए प्रस्ताव से नोट किया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनएससी से परामर्श किए बिना टीएसी गठित की थी । सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के अन्तर्गत यथानिर्धारित नोडल अधिकारी का प्रमाण-पत्र भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

4.25 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजी गई सामग्री तथा एनएससी की 81 वीं बैठक में दिए गए प्रस्तुतीकरण से/एनएससी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्वाइन्ट नोट किए:-

1) सीएनएनएस का प्रयोजन आधार लाइन के रूप में पेश करने हेतु वास्तविक कुपोषण भार का आकलन करने के लिए स्कूल-पूर्व (0-4 वर्ष), स्कूल जाने वाले बच्चों (5-9 वर्ष) तथा किशोरों (10-19 वर्ष) का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि तथा व्यापक पोषण सर्वेक्षण आयोजित करना है । प्रस्तावित सर्वेक्षण चार सर्वेक्षण एजेंसियों, एक मुख्य प्रयोगशाला, दो गुणवता नियन्त्रण प्रयोगशालाओं तथा एक शीर्ष एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा ।

(2) सर्वेक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हैं :- (क) बच्चों और किशोरों में महत्वपूर्ण सूक्ष्म-पोषण कमियों के बायोमार्करस की मौजूदगी सबक्लीनिकल ज्वलनशीलता और मिटटी संचारित हेल्मिन्थेस संक्रमण का मूल्यांकन करना, (ख) शरीर संरचना, कार्डियो- मेटाबालिक जोखिम, मस्कुलर स्ट्रेन्थ तथा स्कूल आयु-वर्ग के बच्चों और किशोरों में फिटनेस के साथ-साथ ओवर-वेट तथा मोटापे की मौजुदगी का मूल्यांकन करना (ग) बच्चों और

किशोरों की पोषणीय रूपरेखा में उनके स्वास्थ स्तर, संज्ञानात्मक किराया, स्कूल जाने की तैयारी, शैक्षणिक परिणाम तथा पर्यावरणीय स्थितियों और आहारीय विविधता जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण निर्धारकों में सहयोगियों की तलाश करना ।

(3) पहली बार, सीएनएनएस भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों में अधिक पोषण तथा संबद्ध गैर-संक्रमणीय रोगों का परिमाप तय करेगी, जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थय कार्यक्रम प्रोग्राम का मूल्यांकन करने तथा पोषण-ट्रांजिशन के मूद्दों का निराकरण करने के लिए राष्ट्रीय नीति के पुन:अभिविन्यास करने में सहायता करने के लिए बेसलाइन होगी ।

(4) सीएनएनएस (1,13,100 बच्चों और किशोरों (परिवार सर्वेक्षण के लिए कुल प्रतिवर्ष आकार: 0-19 वर्ष के 1,13,100 बच्चे तथा बायो मार्कर के लिए प्रतिदर्श आकार: 56,550 बच्चे 0-19 वर्ष के साक्षात्कार के तहत 30 राज्यों के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करने वाली 1,885 प्राथमिक प्रतिचयन इकाइयां संचालित की जाएंगी । परिवार सर्वेक्षण और मानवमिति और शरीर संरचना उपायों के लिए अन्तिम समायोजित प्रतिदर्श आकार में प्रत्येक तीन लक्ष्यवर्ग समूहों नामत: स्कूल - पूर्व (0-4 वर्ष), स्कूल जाने वाले बच्चे (5 -9 वर्ष) तथा किशोर (10 -19 वर्ष) में 37, 700 प्रतिभागी शामिल किए जाएंगे । प्रस्तावित प्रतिदर्श आकार (1) सभी राज्यों में न्यूनतम 500 ग्रामीण तथा 500 शहरी उत्तरदाता सुनिश्चित करने, (11) झुग्गी-बस्तियों और गैर-झुग्गी बस्तियों में अन्तर रखने के लिए दिल्ली व्यापार प्रतिदर्श शामिल करने, तथा (111) तीन क्षेत्रों - पूर्वी उत्तरप्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अनुमान उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के व्यापक प्रतिदर्श शामिल किए जाएंगे ।

(5) सीएनएनएस ग्रामीण क्षेत्रों में दो-चरणीय प्रतिदर्श डिजाइन तथा शहरी क्षेत्रों में तीन चरणीय प्रतिदर्श डिजाइन अपनाएगा । उपयुक्त स्तरण के उपरांत गणना गांवों/गणना ईबी (शहरों में) न्युनतम 150 परिवार सुनिश्चित करने के लिए समूह बनाने के उपरान्त प्राथमिक प्रतिचयन इकाइयां होंगी तथा लक्षित आबादी वाले परिवार द्वीतीय चरण की इकाइयां होंगी । प्रणालीबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग करके पात्र परिवारों की सूची में अलग-अलग परिवारों का चयन करने के लिए प्राथमिक प्रतिचयन इकाइयों में गृह सूचीयन का कार्यान्वयन किया जाएगा ।

(6) परिवरों की सूची बनाने के दौरान, 0-19 वर्ष की आयु के सदस्यों वाले परिवार को तीन स्तरों (0-4 वर्ष, 5 - 9 वर्ष और 10-19 वर्ष) में वर्गीकृत किया जाएगा । प्रत्येक स्तर से, प्रणालीबद्ध प्रतिचयन का प्रयोग करके 20 परिवारों का चयन किया जाएगा तथा आईएसएच तालिका का उपयोग करके प्रत्येक परिवार में केवल एक पात्र उत्तरदाता का चयन किया जाएगा । कुछ परिवारों में एक आम समूह से अधिक पात्र प्रतिभागी हों तो दो या तीन प्रतिभागियों के साक्षात्कार की अनुमति दी जाए ।

(7) परिवार सूचीयन फार्म में, वर्तमान आबादी, आवासीय परिवारों की अनुमानित संख्या, गांव का मुखिया तथा स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों और सड़क कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी अवसंरचना तथा घर की अवस्थिति, परिवार का मुखिया और साक्षात्कार के लिए पात्र उत्तरदाता की उपलब्धता जैसी प्रत्येक परिवार संबंधी विस्तृत सूचना सहित गांव संबंधी सूचना अन्य बातों के साथ-साथ संग्रहित की जाएगी ।

(8) सर्वेक्षण के प्रचालन, आयोजन और प्रबंधन को सुसाध्य बनाने के संबंध में, देश को चार अंचलों में विभक्त किया जाएगा और प्रत्येक अंचल में 7-8 राज्यों को शामिल किया जाएगा । 14 माह की अवधि में एक साथ चारों अंचलों में सर्वेक्षण किया जाएगा । निर्धारित समय में प्रत्येक अंचल (कुल आठ राज्य) में दो राज्यों में आंकड़ा संग्रहण किया जाएगा । प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण 3-4 माह में किया जाएगा । प्रचालानात्मक, वित्तीय तथा अन्य संसाधन कमियों को ध्यान में रखते हुए, इन घटकों को निर्धारित करने की सूचना दी गई है ।

(9) सर्वेक्षण में तीन प्रकार की प्रश्नावलियां नामत: परिवार, व्यक्ति तथा गांव/पीएसयू प्रश्नावलियां रखी जाएंगी ।

(10) परिवार प्रश्नावली में आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर, परिवार के मुखिया से रिश्ता, शिक्षा और रोजगार की स्थिति और पानी एंव स्वच्छता सुविधाओं पर आंकड़े, प्रकाश की व्यवस्था का स्रोत, भोजन पकाने के ईंधन की किस्म, धर्म, परिवार के मुखिया की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का स्तर, तथा परिवार, भूमि, पशुओं और रेडियो, टी.वी. और मोटरसाइकिल जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों के स्वामित्व संबंधित सूचना संग्रहित की जाएगी । परिवार खाद्य सुरक्षा निजी अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग तथा सामाजिक इकाइंयों, राशन और स्वास्थ्य बीमा कार्डों संबंधी सूचना भी संग्रहित की जाएगी ।

(11) 0-19 वर्ष के चयनित पात्र बच्चों और किशोर जो प्रतिदर्श परिवारों के नैमित्तिक आवासी हैं, के संबंध में अलग-अलग प्रश्नावलियां सूचना एकत्र करने के लिए नियोजित की जाएंगी । 0-4 वर्ष के बच्चों, 5-9 वर्ष के बच्चों और 10-14 वर्ष और 15-19 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए एक पृथक वैयक्तिक प्रश्नावली विकसित की जाती है ।

(12) एक पीएसयू/गांव प्रश्नावली भी होगी, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित अवसंरचना, और विभिन्न सरकारी स्कीमों की उपलब्धता तथा पानी और स्वच्छता सुविधाओं का संग्रहण करने के लिए सभी 1885 स्थलों(पीएसयू/गांव) की देखरेख होगी ।

(13) प्रस्तावित सीएनएनएस एनएफएचएस-4 (2014-2015), एएचएस-(2012-2013) डीएलएचएस-4(2012-13), आरएसओसी(2013)/सीईएस(2009) तथा एनएनएमबी (2012) जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पिछले सर्वेक्षणों में शामिल किए गए अन्य संकेतकों के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा घेंघा से संबंधित पोषण संकेतक शामिल किए जाएंगे ।

(14) एनोएमिस्टेशन के उपरांत इकाई स्तरीय आंकड़ों के अलावा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख निष्कर्षों/परिणामों का प्रचार करने की योजना है ।

4.26 एनएससी की 81वीं बैठक में विचार-विमर्शों के दौरान उठे प्रमुख मुद्दों/सरोकार/सुझाव इस प्रकार हैं:

(1) सीएनएनएस से अनुमान अनेक प्रकार के कारणों की वजह से एनएफएचएस जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य सर्वेक्षणों से तुलना नहीं की जाए ।

(2) मेगा शहरों जैसे कि मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई आदि 5 मिलियन आबादी वाले शहर पर पृथक स्तर के रूप में विचार किया जाए । विशेषत:, झुग्गी-बस्तियों के क्षेत्र की कवरेज केवल दिल्ली तक सीमित न की जाए तथा अन्य महत्तवपूर्ण शहरों में झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए ।

(3) चूंकि सीएनएनएस चार माहों के भीतर उनके संबंधित प्रक्षेत्रों में शामिल होगा, यह मौसम के मुद्दे का निराकरण नहीं करेगा ।

(4) एनएससी द्वारा एनएफएचएस-4 की समीक्षा करते वक्त, ऐसी प्रकृति के भावी सर्वेक्षणों के लिए एक नया बेंचमार्क होगा । प्रतिवेदित रूप में एनएफएचएस-4 और सीएनएनएस में आकलित किए जाने वाले संकेतकों की सूचियों में पुनरावृत्ति है । परंतु, एनएफएचएस-4 में उपलब्ध संकेतकों की पुनरावृत्ति के संबंध में तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए सीएनएनएस तैयार किया गया प्रतीत नहीं होता है ।

(5) परिवर्तन पैरामीटरों पर अनुमान लगाने के संबंध में, एनएफएचएस-4 के लिए चयनित पीएसयू के उप-प्रतिदर्श में कम से कम सीएनएनएस आयोजित करना वांछनीय किया जाए । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों जिन्होंने बैठक में भाग लिया, द्वारा बताया गया कि एनएफएचएस-4 की पीएसयू की सूची गोपनीयता प्रतिबंधों के कारण उपलब्ध न करायी जाए ।

(6) सीएनएनएस में आकलित किए जाने वाले प्रस्तावित पैरामीटरों की सीमा में अनुमानों का स्तर प्रतिदर्श में कम अभ्यावेदन/कवरेज हो सकता था, जो प्रचार में समस्याएं पैदा करेगा ।

(7) गृह सूचीयन ब्योरा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सामाजिक-आर्थिक जाति गणना रिकार्डों में उपल्ब्ध कराया जाए । इन रिकार्डों के तहत परामर्श करना गृह सूचीयन प्रचालनों में लगने वाली लागत तथा समय को घटाएगा ।

(8) पीएसयू स्तर पर प्रतिदर्श आकार बहुत निम्न है तथा एसएसयू स्तर पर बहुत अधिक है । इस प्रकार, बहुत ऊंचा कलस्टरिंग प्रमाण होगा । इसके अलावा, पीएसयू स्तर पर प्रतिदर्श आकार को बढ़ाने का यह एक मामला है, क्योंकि ये अत्यधिक विजातीय है । प्रत्येक एसएसयू में और अधिक प्रतिदर्शों जो सापेक्ष रूप से सदृश हों, को

शामिल करना संसाधनों का अपव्यय होगा तथा अनुमानों की दक्षता में योगदान नहीं करेगा ।

(9) सीएनएनएस उपयुक्त समय (पोषण और रूग्णता दोनों) की उपेक्षा करता है । इसके आलोक में, स्तरीय अनुमान लगाना, काफी बड़ी संख्या के संकेतकों के लिए राज्यों के बीच तुलनीयता संभव नहीं है । परिणामस्वरूप, उपयुक्त समय को प्रभावित करने वाले पैरामीटरों के लिए राष्ट्रीय स्ती के अनुमानों को लगाने के कोई प्रयास नहीं किए जा सके । इन सीमाओं के आलोक में तथा साथ ही भविष्य में इसके प्रतिवलन में कठिनाइयों के कारण भी, सीएनएनएस को एक बेसलाइन के रूप में समझा जा सकता है ।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

4.27 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजी गई सामग्री तथा एनएससी की 81वीं बैठक में किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर, अग्रवर्ती पैराग्राफ में उद्धृत मुद्दों/सरोकारों/ सुझावों पर सहमत होते हुए एनएससी ने निम्नलिखित अनुशंसाओं के अध्यधीन सीएनएनएस आयोजित करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमित जताई :

(1) 5 दिसम्बर, 2011 के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में विहित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए ।

(2) पैरा-6 में उल्लिखित मुद्दों/ सरोकरों/ सुझावों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण कार्यप्रणाली को उपयुक्त रूप से अद्यतन किया जाए ।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मजबूत मौसम प्रभावों की प्रकृति और समय को अभिनिर्धारित करने के संबंध में उप-दौर आधार पर एनएफएचएस-3 आंकड़ों की जांच करे तथा प्रत्येक राज्य में आयोजित किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त अवधि का चयन करने हेतु सूचना का उपयोग करे ।

(4) जैसाकि ऊपर दिया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएफएचएस-3 किए गए अनुसार पूरे वर्ष राज्य प्रतिदर्शों के विस्तार की व्यवहार्यता की जांच करे ।

(5) राज्य स्तरीय अनुमानों का प्रचार करते समय, उस वर्ष के समय(अवधि) जिससे वे संबंधित हैं, को विनिर्दिष्ट करना उचित होगा तथा साथ ही स्पष्ट रूप से उल्लेख करना कि वे पूरे वर्ष नहीं किए जाते हैं ।

(6) मौसम के अनुसार प्रभावित संकेतकों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर के अनुमान नहीं लगाए जाएं । तथापि, गैर-मौसमी संवेदी संकेतकों के मामले में, राष्ट्रीय स्तर के अनुमानों को लगाने का प्रयास किया जाए ।

(7) यदि प्रतिदर्श पीएसयू के चयन के लिए एनएफएचएस-4 की पीएसयू सूची का उपयोग करके सीएनएनएस को स्थित किया जा सकता है, इसके निष्कर्षों कर उपयोगिता

महत्तवपूर्ण रूप से बढ़ जाएगी । इस प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस दृष्टिकोण को अपनाए । चूंकि सीएनएनएस और एनएफएचएस-4 दोनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन हैं, गोपनीयता की कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए ।

4.28 उक्त उल्लिखित अनुशंसाएं 11 फरवरी, 2016 के पत्राचार सं. 17(1)(81)/ एनएससी/2015-16 के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अग्रेषित की गई ।

(कार्रवाई: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

ग्रामीण आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्गों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन

4.29 सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनएससी के विचारार्थ 10-2-2016 के अपने पत्र सं. सीजीएम (पी और एस)/सर्वेक्षण/2016/78074 के तहत ग्रामीण राजमार्गों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव संबंधी अध्ययन आयोजित करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खण्ड -4 में प्रकाशित 5 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना सं. 232 के तहत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सांख्यिकीय सर्वेक्षणों को आयोजित करने संबंधी दिशा-निर्देशों में विहित अनुदेशों के अनुसार एनएससी द्वारा अपनी 82 वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया । बैठक में उपस्थित एनएचएआई के प्रतिनिधि ने अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया कि वे ग्रामीण आबादी पर एनएचएआई परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना चाहेंगे, ताकि एनएससी अध्ययन किए जाने की जरूरत वाले सर्वेक्षणों के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन करने की सलाह दे सकें तथा एनएचएआई आउटसोर्सिंग के माध्यम से सर्वेक्षण आयोजित करेगा ।

4.30 देखा गया कि ग्रामीण जनता को सड़कों के नेटवर्क, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें आदि शामिल हैं, से लाभ होता है । यह भी देखा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रामीण जनता को न केवल लिंक/सेवा उपलब्ध कराते हैं बल्कि वे शहरों, पत्तनों, औद्योगिक क्षेत्रों आदि के लिए भीड़ लिंक/सेवा है । इस स्थिति को देखते हुए एनएससी ने महसूस किया कि अध्ययन के उद्देश्य सावधानीपूर्वक तैयार करने तथा सुस्पष्ट किए जाने की जरूरत है ।

4.31 एनएससी ने महसूस किया कि एनएचएआई का प्रयोजन संभवत: दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है: नामत:, (1) उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करके

विश्लेषणात्मक अध्ययन शुरू करने; तथा (2) राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े कुछ गांवों जिनके लिए पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों में आंकड़े उपलब्ध हैं, का पुन: सर्वेक्षण करना ।

4.32 विश्लेषणात्मक अध्ययनों में अर्थमित्तीय मॉडलिंग कार्य के जरिए ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से उपलब्ध अवसंरचना की सुस्पष्ट क्षमता का पता लगाने के लिए उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा । पहले किए गए ऐसे कार्य(अधिकांशत: अन्य देशों में) पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध हैं ।

4.33 दूसरे विकल्प के मामले में, पूर्व की अवधि से परियोजना के पूरा होने के बाद की अवधि की एनएचएआई परियोजना तक परिवर्तित पैरामीटरों का मूल्यांकन करने का उद्देश्य होगा । इस प्रयोजनार्थ जनगणना आंकड़े अथवा एनएसएसओ आंकड़ों (उदाहरण्त: वर्ष 2004-05 अथवा 2009-10 के उपभोक्ता व्यय पर) का एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाए । परिवर्तित पैरामीटरों का अध्ययन करने के लिए गावों (राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े) के एक उप-प्रतिदर्श में पुन:सर्वेक्षण किया जाए । अन्य कारकों की वजह से अन्य बातों के साथ-साथ गड़बड़ को कम करने के लिए पुन: सर्वेक्षण हेतु कार्यप्रणाली को विकसित किए जाने की जरूरत है ।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

4.34 प्रथम विकल्प में एनएससी की सहमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, उक्त उल्लिखित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अधिसूचना में दिए गए 'सांख्यिकी सर्वेक्षणों को आयोजित करने संबंधी दिशा-निर्देश' द्वीतीय विकल्प के मामले में लागू होंगे ।

4.35 उक्त को ध्यान में रखते हुए, एनएचएआई दोनों विकल्पों पर प्रथम विचार करे तथा यदि उन्हें प्रस्तावित अध्ययन के लिए सर्वेक्षण अपेक्षित हों तो वे और अधिक स्पष्टता के साथ उद्देश्यों को दर्शाते हुए एनएससी के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव रखें ।

4.36 एनएससी के उपर्युक्त विचार 23 फरवरी, 2016 के पत्राचार सं. 17(1)(82)/ एनएससी/2015-16 के तहत एनएचएआई को अग्रेषित किए गए ।

(कार्रवाई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)